[श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर]

के जो हमारे मानवीय संसाधन मंत्री हैं, श्री अर्जुन सिंह जी...

उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश सरकार ने की थी जब वह वहां के मुख्य मंत्री थे। तो मेरा आपके माध्यम से उनसे आग्रह हैं कि उनके, गट्ठा जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की भावना के खिलाड़ी रूपी पौधों को रोपा गया था उनको कृपा करके समझाने प्रदान करें ताकि उनके मन में जो भारत माता की सेवा करने की भावना है और अपने प्रयासों से खेल के मैदान में भारत को गौरव दिलाने की भावना है उसको संरक्षण मिल सके, ताकत मिल सके और किसी भी प्रकार के जो तत्व इन खिलाड़ियों के खिलाफ़ में सडयंत्र कर रहे हैं उन पर बंदिश लग सके।

इसी आग्रह के साथ, मैं एक बात पुन: केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि जिन खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश की भ०ज०पा० सरकार ने 7.8.91 को जिस हिटलरी आदेश के माध्यम से सेवा मुक्त किया हैं, उनको तुरन्त सेवा में वापस लिया जाए धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Now we shall continue the discussion on the working of the Ministry of Labour—Shrimati Kamla Sinha to continue her speech.

DISCUSSION ON THE WORKING OF MINISTRY OF LABOUR—*Contd.*

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कल मैंने चर्चा की शुरुआत करते हुए यह कहा था कि श्रम मंत्रालय का सारा काम नामनिहादी तरीके से, एडहॉक बेसिस पर चलाया जा रहा हैं। इस मंत्रालय में एक पूर्णकालिक काबीना स्तर के मंत्री भी नहीं हैं, एक उपमंत्री के जरिए इस मंत्रालय के कार्य को चलाया जा रहा हैं। इससे पहले जो राज्य मंत्री थे उन्होंने कुछ कार्यक्रमों की घोषणा की थी, उस घोषणावली का भी क्या हुआ, हमें पता नहीं। कल मैं यह कह रही थी कि अभी पब्लिक सैक्टर अन्डर टेकिंग्स में सब जगह वेस रिवीजन का समय आ गया हैं। हर तीन साल के बाद वेज रिवीजन होता है, नया एग्रीमेंट होता हैं। वेज रिवीजन का समय आने के बावजूद अभी तक डियरनैस एलाउंस का स्तर क्या होगा, किस आधार पर, कितने प्वायट की महंगाई पर डियरनैस एलाउंस तय किया जाएगा, यह अभी तक तय नहीं हुआ हैं। नतीजा यह हुआ कि अगला जो वेज नैगोसिएशन होगा, उसके बाद वेज एग्रीमेंट होगा, उसमें डियरनेस एलाउंस का प्वाइंट कितना होगा, कोई जानकारी नहीं हैं। महोदय, पिछली सरकार ने, नेशनल फ्रंट की सरकार ने इसके लिये एक समिति बनाई थी, डियरनैस एलाउंस के लिए एक कमेटी बनाई थी, यह तिपक्षीय समिति थी और जिसमें यह कहा गया था कि आप लोग खुद डियरनैस एलाउंस कितना होगा, महंगाई का न्यूनतम आधार क्या माना जाए, इसको तय करके दे दीजिए। इस समिति ने पिछले मार्च महं ने में अपना प्रतिवेदन दे दिया था। महोदय, आप जानते हैं कि मंहगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। पहले जो डी० ए० गिना जाता था कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स का आधार 1962 जोड़ा जाता था। अब तक 1962 बेस ईयर जोड़ा जा रहा था तब से लेकर अब तक जो महंगाई में अंतर हुआ है उसके कारण यह बेस ईयर को भी कैलकुलेशन के लिए परिवर्तन की आवश्यकता हो गई थी। इसके बारे में भी श्रमिक सगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा था, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं गया और आब्विट्रेरली 1982 को बेस ईयर मान कर कार्यक्रम शुरू हो गया। इसके कारण यह होगा महोदय, कि प्रत्येक मजदूर को, श्रमिक को चार प्रतिशत से पांच प्रतिशत का डियरनेस एलाउंस में घाटा होगा। तो यह काम बाकी रह गया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहती हूं कि किसी भी देश की आर्थिक उन्नति, आर्थिक विकास का प्रमुख अंग होता हैं उस देश की श्रम शक्ति। कोई भी देश कोई एब्स्ट्रेक्ट नोशन नहीं हैं जैसा कि किसी एक मणिषी ने कहा है।

"A country is not an abstract thing. It is people first and foremost, and it is the working people foremost."

तो मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे देश की जो श्रम शक्ति है, इस श्रम शक्ति की अवहेलना करके कोई भी सरकार आर्थिक नीति या औद्योगिक नीति में सुधार नहीं ला सकती है। हमें आजाद हुए 44 साल हो गए। आजादी के प्रथम दिन हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक नीति निर्धारण किया था। इस देश का औद्योगिक विकास जल्दी हो, एम्प्लायमेंट अपार्चुनिटीज हों और वेल्फेयर रिलायंस की तरफ हम जा सकें। महोदय, पंचवर्षीय योजना हम फालो करते रहे, योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश की अर्थ-नीति चलती रही और अब तक की जो स्थिति है, बस हम लोगों के सामने है। सेवेंथ प्लान पीरियड के बावजूद इस देश में अन-एम्प्लायमेंट बढ़ता ही गया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगी कि 1973-77 और 1980 की जो इंडस्ट्रियल पालिसी आयी थी जिसमें विशेष रूप से यह बात जोड़ी गयी थी कि पूंजी पर आधारित उद्योगों का नयी तकनीक के जरिये विकास हो। वह किया भी गया, बड़ी-बड़ी पूंजी का निवेश कर जगह-जगह कारखानों को लगाया गया, लेकिन अगर आप देखें तो पायेंगे कि 80 के दशक में जो यह अर्थ-नीति चलाई गई या जो अभी भी हम चला रहे हैं, उससे कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है। कुछ हद तक आर्थिक विकास जरूर हुआ था, 80 के दशक में 5 प्रतिशत जरूर विकास हुआ था और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी 8 प्रतिशत का विकास हुआ था, लेकिन दिनोंदिन एम्प्लायमेंट गिरता ही गया। महोदय, आज ही के एक अखबार में मैं पढ़ रही थी जिसमें प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमेन का बंगलौर से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज बढ़ाने से ही नये एम्प्लायमेंट का जरिया हो जाय, यह आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रीज जरूर बढ़ी है और 1 लाख 92 हजार करोड़ का इनवेस्टमेंट भी आर्गनायज्ड सेक्टर में हुआ, पर 1978 से 88 तक कोई नयी एम्प्लायमेंट ग्रोथ नहीं हुई है, नियोजन में कोई विकास नहीं हुआ है।

महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि इस देश में "ज्यों-ज्यों इलाज होता गया, बीमारी बढ़ती गयी" वाली कहावत हुई ? नये-नये उद्योगों का लगाना शुरू हुआ, नयी तकनीक शुरू हुई और नयी तकनीक अपनाने के साथ साथ उद्योगों में लोगों का लेना कम हुआ, बेकारी बढ़ती गयी। महोदय, आप अगर देखेंगे तो पायेंगे कि हमारे देश में 2 करोड़ 60 लाख लोग आर्गनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। और अनआर्गनाइज्ड सेक्टर में लगभग 27 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। इसमें आप देखें कि 1970 से 76 तक जाब ग्रोथ रेट किस तरह से हुई। 1970 से 76 तक 2.9 जाब ग्रोथ हुई, 1976 से 1981 तक 2.6, 1981 से 86 तक 1.85 1983 से 89 तक 1.5 हुई यानी दिनों-दिन जाब ग्रोथ घटती ही गयी। यद्यपि इस देश में 224 पब्लिक सेक्टर अन्डर टेकिंग्स हैं और इसमें एम्प्लायमेंट कुछ हद तक बढ़ा है। जैसे 1985 में 1 करोड़, 72 लाख, 79 हजार लोग थे। 1989 में 1 करोड़, 85 लाख, 61 हजार हुये। इस तरह थोड़े से एम्प्लायमेंट एवेन्यूज बढ़े, लेकिन प्रायवेट सेक्टर में ये दिनों-दिन दिन गिरता गया। इसके अगर मैं आंकड़े दूं तो यह इस तरह होगा, 1986 में 44 लाख 48 हजार लोग नौकरी कर रहे थे, 1988 में गिरकर 43 लाख 99 हजार हुये। इस तरह 2 प्रतिशत की गिरावट आयी। महोदय, साथ-ही-साथ इसका जो दूसरा पहलू है, वह यह है कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नौकरी के लिये आवेदन करने वाले अन-स्किल्ड लोगों की संख्या 1986 के जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़, 36 लाख, 79 हजार थी। यह अन-स्किल्ड लेबर यानी मेनुअल लेबर की संख्या थी। जो अन्य मैट्रीकुलेट लोग हैं, उनकी संख्या 94 लाख, 64 हजार थी, हायर सेकेन्डरी पास लेकिन नानग्रेजुएट की संख्या थी 41 लाख, 45 हजार व ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएटस की संख्या है 28 लाख, 61 हजार। इस तरह से 3,10,31,000 लोगों ने एम्पलायमेंट एक्सचेंज में नौकरी के लिये अपने नाम नामजद कराये हैं।

[श्रीमती कमला सिंह]

अगर आप देखेंगे तो पायेंगे कि एक साल में 50 से 60 हजार लोग एम्प्लायमैंट एक्सचेंज से नियोजन के लिये जाते हैं। मैंने आपके सामने यह तथ्य इसलिये रखे कि सरकार का यह कहना कि हम नये कामों को निकालने के लिये, नये नियोजन के उपाय का सृजन करने के लिये यह नई तकनीक अपना रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। यह तथ्य सही नहीं है।

महोदय, आज के दिन में आप देखेंगे तो केवल आर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिये 32 मिलियन यानी 3 करोड़ 20 लाख लोग नौकरी के बाजार में हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि दिनों-दिन जैसे जैसे औद्योगिक विकास हुआ, वैसे वैसे उद्योग बीमार भी होते गये, उद्योगों का बीमार होना बढ़ता गया। दिसम्बर, 1980 के आंकड़े यह बताते हैं कि 24,450 बीमार इकाइयां इस देश में थीं और जून, 1989 से यह संख्या बढ़कर 1,59,938 हो गई और दिसम्बर में इसका आंकड़ा हो गया 2 लाख 7 हजार, अब हम तो 91 में आ गये हैं तो इसकी संख्या और ही बढ़ गई होगी। रिजर्व बैंक का यह आंकड़ा है, इसमें जो संगठित क्षेत्र के कल-कारखाने, खासकर के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या बड़े उद्योग हैं, उनमें से 1341 कल-कारखाने बन्द पड़े हैं, लेकिन स्माल इंडस्ट्रीज के उद्योग जो हैं इसमें से 2,40,573 कारखाने बन्द पड़े हैं। यह दिसम्बर, 1988 का आंकड़ा है। मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि सरकार स्वयं यह अंदाजा लगाये कि कितने लोग बेकार हो गये होंगे, इसके कारण।

महोदय, इंडस्ट्रियल सिकनेस के कारण कई हो सकते हैं। मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहती हूं। लेकिन, जो प्रमुख उद्योग इंडस्ट्रियल सिकनेस के शिकार हुए हैं, उनमें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, केमिकल, जूट, सीमेंट और शुगर इंडस्ट्रीज प्रमुख हैं। इसलिए यह कहना कि औद्योगिक विकास होगा, कारखाने ज्यादा लगेंगे, एक स्वस्थ औद्योगिक विकास कहा जाएगा, बिल्कुल गलत है। क्योंकि उद्योग के विकास के साथ-साथ जुड़ा हुआ है लोगों को समायोजित करना, नौकरी मिलना, एंपलायमेंट मिलना। कोई भी कल-कारखाने स्वतः तो चल नहीं सकते हैं, रोबोट से चल नहीं सकते, जब तक कि मनुष्य का उत्पादक हाथ न लगे, उत्पादन नहीं हो सकता इसमें जो उत्पादकों का हाथ निवेशित करना है, दिनों-दिन वह घटता ही चला जा रहा है। इसके कारण भी कई रहे हैं। . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): If you want the second speaker from your party to get some time, then, you should conclude within two minutes.

SHRIMATI KAMLA SINHA: I will take five minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Now 7 minutes more are remaining.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Let me complete.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): No problem.

श्रीमती कमला सिन्हा : तो यह जो कल-कारखाने की बीमारी होने का कारण हुआ है, इसमें जो मेनडेज लोस वगैरह कहा गया है, इसमें लोकआऊट और कलोजर के कारण ज्यादा मेनडेज लोस हुआ है, न कि हड़ताल के कारण हुआ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहती हूं कि सरकार को चाहिए उद्योग में बाधा न हो, ठीक ढंग से उद्योग चलता रहे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी को दुरूस्त करना होगा। जैसा कि मैंने कहा है नए इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल को ठीक ढंग से लाना होगा ट्राइपार्टाइट कमेटियां ठीक ढंग से काम कर सकें इसके लिए उसको ठीक से गठन करना होगा। लेबर केसेज जो होते हैं, जो वर्षों से लंबित पड़े रहते हैं उनका जल्दी निष्पादन हो इसके लिए लेबर कोर्टस की संख्या भी बढानी चाहिए। अभी तक केवल 11 लेबर कोर्ट हैं इस देश में। तो इनकी संख्या बढानी चाहिए, लेबर ट्रिब्युनल की संख्या बढानी चाहिए।

3.00 P.M.

महोदय, मे एक बात और कहना चाहती हूं आपके माध्यम से कि हमारे देश में

संगठित क्षेत्र के मजदूरों की जो स्थिति है वह तो आपके सामने है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है असंगठित क्षेत्र के 27 करोड़ मजदूर कानूनी अधिकार से भी वंचित हैं और आई० एल० ओ० के कन्वेंशन्स या आई० एल० ओ० के द्वारा पारित कन्वेंशन जो कुछ हमारे देश में नोटिफाई करके श्रम कानून लागू किए गए हैं, उनसे भी ये वंचित हैं, खासकर के जो एग्रीकल्चरल इन्डस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इनकी बड़ी बुरी हालत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अन-आरगेनाइज्ड सेक्टर के लिए, खासकर के जो एग्रीकल्चरल, रूरल, इन्फॉरमल, सेल्फ एम्प्लायड या होम बेसड् वर्कर्स हैं, उनके लिए सरकार को अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए। दो साल पहले सेल्फ एम्प्लायड वर्कर्स के बारे में एक कमीशन बहाल किया गया था, उस कमीशन ने श्रम-शक्ति नाम से एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट की अनुशंसाओं के बारे में सरकार ने क्या किया, हमें कुछ पता नहीं है, तो उस कमीशन की अनुशंसाओं के बारे में भी विचार करना चाहिए और उनको लागू करना चाहिए।

महोदय, मैं महिला श्रमिकों के बारे में दो-चार बातें कहना चाहूंगी। इस देश में आर्थिक विवशता के कारण, महंगाई के कारण महिलाओं को भी नौकरी में आना पड़ रहा है और जितनी महिलाएं काम करती हैं उसमें आरगेनाइज्ड सैक्टर में उनकी संख्या 10 प्रतिशत है। 83 प्रतिशत अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करती है, 7 प्रतिशत इनफॉरमल सैक्टर में काम करती हैं जो सेल्फ एम्प्लायड भी हैं, जिनको हम अंग्रेजी में कहें तो कह सकते हैं कि टबाएलाइट जोन में काम करती हैं, जिनके बारे में कोई रिकार्ड नहीं और जो हर समय एक्सप्लायटेशन का शिकार होती हैं। औरतों के बारे में तो यह मानना है कि आरगेनाइज्ड सैक्टर में जो औरतें काम करती थीं जो ट्रेडिशनल आरगेनाइज्ड सैक्टर रहा है उसमें, जैसे कोयला है, लोहा है, अन्य खदान हैं, कारखाना है, इन सभी जगहों पर जब कभी नई तकनीकीकरण की शुरूआत होती है, नये रेशनालैंएजेशन की शुरूआत होती है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले अगर किसी की छंटाई होती थी तो औरतों की होती है और यही स्थिति आज भी लागू है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहती हूं कि महिलाओं की इस तरह की छंटाई को बन्द कराया जाना चाहिए। एक बात मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहती हूं कि दुनिया के कई विकसित देशों ने महिलाओं को, जो नौकरी करती हैं, चाहे असंगठित क्षेत्र में हों या संगठित क्षेत्र में हों, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं

sexual harassment at work-place.

इसको एक ट्रेड यूनियन अफेंस के तहत लिया है और जिस नियोजन स्थल में उसके साथ काम करते हुए, जहां कोई बदसलूक करता है, गलत हरकत करता है, तो उसमें उस जगह का जो सुपरवाइजर या मालिक होता है, वह दोषी होगा न कि केवल जिसने खराब सलूक किया है, वह ही दोषी होगा। तो मैं यह सरकार से कहना चाहती हूं कि

sexual harassment at workplace

औरतों के साथ होता है तो उसको यहां भी ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत फैसला करना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि आई० एल० ओ० ने एक कन्वेंशन पारित किया है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, लेकिन हमारी सरकार ने उसे अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। कंस्ट्रक्शन वर्क में ज्यादातर लोग अन-आरगेनाइज्ड हैं और इसमें औरतें अधिक संख्या में काम करती हैं वह नोटिफायी करके कानून तुरंत लागू करना चाहिए। केमिकल इंडस्ट्री एक हैजर्डस इंडस्ट्री है, केमिकल इडस्ट्री के लिए भी आई०एल०ओ० ने एक कन्वेंशन पारित किया है लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार ने अभी तक उसको रेटिफाई नहीं किया है मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगी कि सरकार उसको रेटिफाई करे।

एक अन्य बात मैं यह कहना चहती हूं कि सेल्फ एम्प्लायड वर्कर्स जो हैं, जो घर बैठकर काम करत हैं, छोटे-छोटे उद्योगों में काम करते हैं, जैसे बीड़ी मजदूरों को ही लीजिए, घर पर बैठकर बीड़ी बनाते हैं लाखों की संख्या में, तो इन मजदूरों का क्या होगा इनके ऊपर कोई कानून सही माएने में लागू नहीं होता है और जो बड़े-बड़े पूंजीपती हैं,

[श्रीमती कमला सिन्हा]

ये लोग कानून के प्रावधानों को हूबहू क्रियेट करते हैं कानून के प्रावधानों को सही मायनों में लागू करना होगा चाहिए । इनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाना चाहिए । जो काम करती या करते हैं उनको आईडेंटिटी कार्ड दिया जाना चाहिए, जो उन्हें नहीं दिया जाता है और स्वास्थ्य के लिए जो हैल्थ कार्ड होता है, वह भी नहीं दिया जाता है । तो इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

बांडिड लेबरस भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में है और यह शर्म की बात है कि आज भी हिन्दुस्तान में बंधुआ मजदूर हैं । दिल्ली के पास क्वेरीज में आप चले जाइए, महोदय, तो हजारों की संख्या में आपको बंधुआ मजदूर दिखेंगे । देश के कौने-कौने में बंधुआ मजदूर आज भी हैं, चाहे खेत खलिहान में काम करते हों, चाहे पत्थर तोड़ने के मजदूर हों । मिर्जापुर के पास जो कारपेट इंडस्ट्री है उसमें आप चले जायें, तो बंधुआ मजदूरों को आप वहां देखेंगे । बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के बारे में सरकार बात तो बहुत करती है लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया । माइग्रेंट लेबर की भी समस्या है । यहां की माइग्रेंट लेबर जो विदेश जाती है, जो इंडेन्टर्ड लेबर होकर जाते थे, अंग्रेज ले जाया करते थे, वह स्थिति आज भी लागू है । हमारे यहां से गल्फ कंट्रीज में आज भी जाते हैं, लेकिन वहां उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है । वह जिस अवस्था में रहते हैं उसके बारे में क्या सुधार हो, सरकार को निश्चित रूप से एक नीति अपनानी चाहिये ।

उपसभाध्यक्ष (श्री एम० ए० बेबी) : प्लीज कांक्लूड ।

श्रीमती कमला सिन्हा : हमारे देश में बाल श्रमिक दो करोड़ हैं । इनके लिये कानून जरूर बना हुआ है लेकिन कानून का इस तरह से उल्लंघन होता है कि जिसका कोई जवाब नहीं । सरकार से मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार निश्चित रूप से कोई नेशनल वेज पोलिसी तय करे । सरकार इस देश के वीकर सैक्शंस के लिये, औरतों के लिये और बाल श्रमिकों के लिये माइग्रेंट लेबर के लिये, बौंडेड लेबर के लिये अपनी नीति निर्धारित करे । सरकार ने कहा कि हम हंड्रेड परसेंट इक्विटी देकर विदेशी पूंजीपतियों को इस देश में बुलायेंगे, हंड्रेड परसेंट इक्विटी देकर विदेशी पूंजीपतियों को बुलायेंगे, इनका मतलब क्या होगा ? जब विदेशी पूंजीपति इस देश में आयेगा तो इस देश के लोगों का शोषण करने के लिये आयेगा, न कि भारत के विकास के लिये । जिस काम के लिये अपने देश में उनको 50 से 100 डालर प्रति घंटा देना पड़ेगा सौ रुपया या पचास रुपया देकर इस देश के मजदूरों से वहां काम करायेगा । इस देश का शोषण होगा, श्रमिकों का शोषण होगा । मैं सरकार को चेतावनी देना चाहती हूं कि इस तरह से नयी टैक्नोलोजी लाकर, मकेनाइज्ड इंडस्ट्री लाकर, नये विकास के रास्ते को खोलकर इस देश में बेकारी को बढ़ावा दिया जायगा, न कि नये नियोजन की व्यवस्था होगी । एक तरफ तो तीन करोड़ लोग बेकार की कतार में आज खड़े हैं और दूसरी तरफ नये उद्योगों के जरिये यह जो नये नियोजन की बात होगी । इससे बेकारी और भंयकर रूप से बढ़ेगी, तो बेकारी को घटाने के लिये नये उद्योग बैठायें, कोई सामंजस्य करें । मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहती हूं कि श्रम शक्ति की अवहेलना करके न कोई देश आगे बढ़ा है और न कोई देश आगे बढ़ेगा । इसकी बहुत बड़ी मिसाल आज हमारे सामने रशिया की है । रशिया में गोर्बाच्योव वापिस नहीं आते अगर वहां के मजदूर हड़ताल करके उनके पीछे खड़े नहीं हुये होते । अगर मजदूर चाहे, श्रम शक्ति अगर चाहे तो किसी के भी तख्ते को पलट सकती है । इसलिये मैं आपको चेतावनी देना चाहती हूं कि आप चेतें और श्रम शक्ति को सही मायनों में नियोजित करें । इस देश के आधे से ज्यादा लोगों को बेकार रखकर आप आगे नहीं बढ़ सकते । ऐसे कोई नये तंत्र को आप इस्तेमाल न करें जो

भारत के लिये सही न हो । हाई टैक्नोलोजी हमारे देश के लिये लागू नहीं है, हमारे देश के लिये जो साधारण तकनीक है उसी से काम हो और उसी से काम लेना चाहिये । धन्यवाद ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे श्रम मंत्रालय के कार्यकरण के संबंध में बोलने का मौका दिया है उसके लिये धन्यवाद । अभी हमारे सदन की माननीया विभूति सदस्य श्रीमती कमला सिंहा जी बड़े विस्तार के इस कार्यकरण की परिचर्चा का शुभारम्भ कर चुकी हैं । वास्तव में सत्यमेवजयते हमारे राष्ट्र का मोटो रहा है, स्लोगन रहा है, नारा रहा है, सत्य की जय हो और जहां सत्य की जय होगी वहां कल्याण अपने आप प्रकट होगा और जो कल्याण कारी होगा उसमें सौन्दर्य का तत्व अनिवार्य रूप से विद्यमान होगा । दि ट्रूथ, दि गुड एंड दि ब्यूटिफुल । चाहे हम पाश्चात्य दर्शन की बातें करें, चाहे अपने यहां के सत्य, शिव और सौंदर्य की बातें करें, सब मानवीय हित, चिंतन के लिये सृजित ऐसे दार्शनिक तत्व हैं जो शाश्वत हैं, यूनिवर्सल हैं जो समय के साथ नहीं बदलते । सब मानव हित चिंतन के लिये सृजित ऐसे दार्शनिक तत्व हैं जो शाश्वत हैं, यूनिवर्सल हैं, जो समय के साथ नहीं बदलते । काल अपना काम करता है लेकिन सत्य, शिव, सुन्दर अपना काम करता है । श्रम का अर्थ है शक्ति, चाहे इंसान की हो, चाहे जीव की हो । हम आज भी हार्सपावर में बात करते हैं । हम एटोमिक युग में भी पहुच जायें, हम नक्षत्र लोक में भी अपना बसेरा कर लें लेकिन वहां भी श्रम की आवश्यकता पड़ेगी ।

मजदूर पिसता रहता है । पिसता हुआ मजदूर निरन्तर अपनी आशा, आकांक्षा और विश्वास का पूरा समर्पण अपने उत्पादन को देता है, अपने कारखाने को देता है, अपनी हस्तकला को देता है और जो उत्पादन होता है, उसी पर सारी सृष्टि का सृजन होता है । चाहे कामगार मजदूर हों, चाहे बेकार मजदूर हों, वे विभिन्न कलाकृतियों को जन्म देते हैं । वे अपनी आंखों की रोशनी और अपने हाथों की शक्ति से अपनी भावनाओं को मूर्त रूप देते हैं और सृजन करते हैं ।

हमारे यहां एक श्रम मंत्रालय है और हमारे श्रम मंत्री यानी भारत के प्रधान मंत्री तो इस समय जर्मनी की यात्रा पर गए हुए हैं लेकिन हमारे उप श्रम मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं । मैं यह कहूंगा कि जिस देश का मजदूर दुःखी होता है, जिस देश का मजदूर पिसता रहता है, जिस देश का मजदूर अपनी आशा, आकांक्षा, विश्वास और भावनाओं के अनुरूप उत्पादन तो करता है लेकिन उन उत्पादन के बदले में उसे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए सिसकना पड़ता है, वह देश, वह संस्थान कभी उन्नति नहीं कर सकता । इसलिए हमारे श्रम मंत्रालय ने श्रम नीति और विधान की बात की है ।

हमारे यहां कई श्रमिक संगठन हैं । श्रमिकों के जो आपस के मालिकाना हक के झगड़े हैं, उनके लिए जो अलग-अलग न्यायालय स्थापित किए गए हैं, उसमें कई तरह की भ्रांतियां अनेक सुथरे हुए, स्वस्थ्य सृजन के बावजूद भी दिखाई पड़ती हैं । महोदय, श्रमिकों को संरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वह सीमांत किसान हो, चाहे वह अनकल्टीवेटेट लैंड में रहने वाला किसान हो, चाहे ऐसा किसान हो जिसके पास कुछ भी नहीं है और वह केवल मजदूरी करता है । हमारे श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हम देखते हैं कि बड़े-बड़े कल-कारखानों में अस्पताल तो बने हैं लेकिन उन अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं । इसी तरह स्कूल तो बने हैं, वहां पढ़ने के लिए बच्चे भी हैं लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं । जब हम देखते हैं कि मालिकान हक हासिल करने वाले मजदूरों के उत्पादन के लाभ पर एक ओर मालिक उच्च कोटि की अट्टालिकाओं में निवास करता हैं और दूसरी ओर श्रमिक, चाहे वह किसी

[डा० रत्नाकर पाण्डेय)

कोटि का श्रमिक हो, वह झुग्गी-झोंपड़ियों में, एक-एक कमरे के कोटर में पशुओं की तरह जिंदगी जीता है तो वहीं से उसके भीतर एक क्रांति की भावना एक एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, एक व्यवस्था के विरोध की भावना जाग्रत होती है।

जो विषमता है, उसके बारे में कहा है--

विषमता की पीड़ा से त्रस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान।

यही सुख, दुःख, विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय गान ॥

जिसे तुम मत समझो अभिशाप, जगत की ज्वाला का वह मूल।

ईश का वह रहस्यमय वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल ॥

ईश का वह रहस्यमय परिधान और प्रतिष्ठापक बनकर मजदूर अपना खून पसीना एक करता है, अपनी आकांक्षाओं का तिल तिल करके, जला करके जो रोशनी उत्पन्न करता है, उसका उत्पादन करता है लेकिन फिर भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। ऐसे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए आपने क्या किया है? क्या नई योजनायें उनके लिए बनाई हैं ? 8वीं पंचवर्षीय योजना में आपके क्या लक्ष्य हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

विशेष लक्ष्य ग्रुप जो महिलाओं के लिए, बाल श्रमिकों के लिए हमने बनाए हैं, हमने प्रस्ताव भी पास किया है कि बाल श्रमिकों के लिए हम कुछ करेंगे, उस पर मैं बाद में आऊंगा, उनके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? रोजगार सेवाओं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात भी आप करते हैं। इसके अलावा श्रम कानून बहुत पुराने हो गए हैं। अंग्रेजों के समय से ये कानून चले आ रहे हैं। श्रम अधिकारी के पास जाओ, इंस्पेक्टर आएगा वह चैक करेगा कि लाइट वहां जल रही है या नहीं, डायरी भरी जाती है या नहीं, 8 घंटे निर्धारित समय तक मजदूर काम करता है या नहीं। लेकिन जो लोग रासायनिक कारखानों में काम करते हैं, रासायनिक वायु का सेवन करते हैं, जो सीमेंट के कारखानों में काम करते हैं, चूना उत्पादन करने वाले मजदूर हैं जिनको आक्सीजन भी शुद्ध नहीं मिल पाती कारखानों में, जो कैमिकल इनवायरनमेंट वाली फक्टरियों में काम करते हैं, आपने प्रदूषण को रोकने के लिए अलग मंत्रालय भी बनाया है, उनके लिए आपने क्या किया है ? इसी तरह से तेज आवाज करने वाले कारखाने हैं, तेज आवाज से कान के परदे फट जाते हैं, वे अपना खून सुखाकर काम करते हैं, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की है ? उनकी आशाओं और इच्छाओं के अनुरूप आपने क्या किया है, यह सदन को बतायें ?

महोदय, श्रम कानूनों में जो कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं, उनमें परिवर्तन करने और केन्द्रीय क्षेत्र में जो कानून हैं, जैसे औद्योगिक विवादों का संराधन केन्द्रीय श्रम न्यायालय, राष्ट्रीय औद्योगिक अभिकरण का गठन, केन्द्रीय श्रम सेवा और प्रशासन, श्रम रोजगार सांख्यिकी, प्रबंध में मजदूरों की साझेदारी, ये बड़े महत्वपूर्ण इश्यू आपने उठाए हैं नई इंडस्ट्रियल पालिसी में। रोजगार के उद्देश्य से उत्प्रवास, श्रम सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय मामले, इस प्रकार की बड़ी लंबी, चौड़ी बातें आपने इसमें शामिल की हैं अपनी वार्षिक रिपोर्ट में। जो नई इंडस्ट्रियल पालिसी पर प्रधान मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था उसमें एक बात यह भी है कि उन्होंने कहा था कि हमने बड़े बड़े ट्रैक्टर तो बना लिए बड़ी बड़ी जोत के लि लेकिन सीमान्त किसान जो 2, 3 या 4 एकड़ से भी कम का है वह आज भी खुरपी लेकर और बैल को हल में जोत करके खेती करता है। वैज्ञानिक विधी का विकास हुआ है लेकिन उसके लिए छोटे ट्रैक्टर क्यों नहीं बनाए ? 40-44 साल में इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया ? आपकी सरकार जवाहरलाल नेहरू की बात करती है कि जवाहरलाल की नीतियों पर हम चल रहे

हैं। उससे बचता है तो इंदिरा गांधी की नीतियों पर चलने की बात करते हैं। उससे बचता है तो राजीव गांधी की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रबन्ध में मजदूरों की सहभागिता पर आज सवेरे मेरा एक प्रश्न था। सरकार की ओर से जो उत्तर आया है उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। इस सदन के माननीय सदस्य श्री बकल उत्साही जी और मैंने प्रश्न 146 में पूछा था कि :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के कुछ चुने हुए रूग्ण उपक्रमों को चलाने तथा उनका प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी कर्मकारों को सहकारी समितियों को सौंपने का विचार रखती है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इसका उत्तर सदन में ध्यान से सुनें। जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर आने के बाद आदमी कन्फ्यूज हो जाता है। मिनिस्टर फाइल में डिटेल उत्तर लेकर आते हैं। जसे मछुअल की कहानी होती है। हम प्रश्न पूछते हैं और मिनिस्टर लोग उत्तर देते हैं। उत्तर में है कि "सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों में से एक को कामगारों की सहकारी समिति द्वारा चलाये जाने के संबंध में सुझाव प्राप्त हुआ है। सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के पुनरुद्धारा हेतु किये जाने वाले अन्य उपायों में से एक उपाय के रूप में सरकार सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को ऐसी सहकारी समितियों के जरिये चलाये जाने के संबंध में प्राप्त व्यवहार्य प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है।"

मैं मंत्री महोदय से इस संदर्भ में जानना चाहता हूं कि देश में इस समय कुल कितने सरकारी प्रतिष्ठान पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं ? सवेरे पूछ नहीं पाया। आप बतायें कि इनमें कुल कितनी पूंजी लगी है ? पिछले तीन वर्षों में इस में कितना लाभ हुआ है और कितनी हानि, इसका ब्यौरा क्या है ? क्या यह सही है कि घाटे में चलने वाले सरकारी उपक्रमों में लगे कुल मूलधन पर मिलने वाली ब्याज की दर अगर जोड़ी जाए तो उसमें हो रहे घाटे से ज्यादा होती है या नहीं ? इस समय कितने सरकारी अंडरटेकिंग्स मजदूरों की भागीदारी से चल रहे हैं ? आपने बताया कि एक ही चल रहा है। उनके लाभ-हानि का ब्यौरा क्या है ? क्या यह सही है कि सरकारी उपक्रम में बने माल की उत्कृष्टता में कमी आने से "भेल" आदि प्रतिष्ठानों को विदेशी आर्डर नहीं मिल रहे हैं और इसलिए घाटा हो रहा है ? मैं यह भी मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस समय देश में कितने ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान हैं जो लगातार नुकसान में चल हे हैं और उनमें लगी पूंजी से हानि अधिक हो चुकी है ऐसे प्रतिष्ठानों के नाम क्या हैं ? क्या सरकार इस बारे में कोई व्हाइट पेपर इशू करने वाली है ? क्या सरकार ऐसे प्रतिष्ठानों को बीमार ईकाई घोषित करके उनका मैनेजमेंट मजदूरों की भागीदारी से चलाने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी पूरी जानकारी क्या है ?

मैं जानना चाहता हूं कि भारत में श्रम नीति का आधार संविधान में निर्देशक सिद्धातों से प्राप्त हुआ है, इन परिस्थितियों की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए नियोजित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की जरूरत के अनुरूप ढालने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं ? आप यह बतायें कि इस देश में कौन से 12 या 16 पूंजीगत घराने हैं जो इस देश की आर्थिक व्यवस्था को, चाहे कोई सरकार हो, पिछली दो सरकारें रही हो नियन्त्रित करते हैं ? उनके ऊपर कितने करोड़ का टैक्स बकाया है ? लोगों के बकाया टेक्स लेने की हिम्मत आपकी सरकार में है ? अगर हिम्मत नहीं है तो . . . **(व्यवधान)**

SOME HON. MEMBERS: It is your own Government. You are attacking your own party Government. You are speaking from Government Benches...

DR. RATNAKAR PANDEY: I know where I am standing and what I am speaking. I am completely alert of that.

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

असल में अपोजिशन के लोग इतने ढीले हो गये हैं कि वे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए सफल सरकार को चलाने के लिए आचार्य नरेन्द्र देव ने कहा था आप लोग आचार्य नरेन्द्र देव और डा० लोहिया का नाम बहुत लेते हैं। एक बार जब श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उनसे आग्रह किया कि आप सरकार में चले आइये और सरकार को चलाइये तो आचार्य नरेन्द्र देव जी ने कहा था कि जनतंत्र में सरकार को चलाने से ज्यादा जरूरी विरोधी दल का मजबूत होना है क्योंकि विरोधी दल सरकार पर अंकुश रखते हैं। लेकिन आप अंकुश नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए विवश होकर हमें जो चीजें उनकी सच्चाई को सामने लाना पड़ रहा है। आपके अपोजिशन की, मैं शिष्ट संसदीय भाषा का प्रयोग करूं तो अक्षमता और इनेबिलिटी है जिसके कारण मुझे ये तत्व सामने लाने पड़ रहे हैं। मैं केवल कांग्रेस की सरकार की बात नहीं कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्रीमती कमला सिन्हा: उपसभाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के अन्दर यह विरोध पैदा हो रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस के लोग इतने डेमोक्रेटाइज हो रहे हैं, अन्दरूनी गणतंत्र में जिस तरह की विरोध की भाषा को संसद में पहुंचा रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं कमला सिन्हा जी के स्वागत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस में विचारों की स्वतंत्रता बराबर रही है और हर फोरम पर, चाहे वह संसद का फोरम हो, चाहे पार्टी का फोरम हो, चाहे छोटा फोरम हो या बड़ा फोरम हो, हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने और हमारे नेता श्री राजीव गांधी ने बराबर स्वतंत्रता दी है। हमें वाणी की स्वतंत्रता दी है, विचारों की स्वतंत्रता दी है और हर स्वतंत्रता दी है। लेकिन आपके यहां वी० पी० सिंह और अजीत सिंह जिस तरह के मतभेद प्रकट कर रहे हैं वह सब को विदित है। इस देश की 85 करोड़ जनता ने साल भर या डेढ़ साल आपको सत्ता सौंपी ...(व्यवधान)।

श्रीमती कमला सिन्हा : श्रीमन्, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। इन्होंने अभी जिन व्यक्तियों का नाम लिया है वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं और माननीय सदस्य को जानकारी है कि जो इस सदन के सदस्य नहीं होते हैं उनका नाम नहीं लिया जाता है। हम जानते हैं, आपको फोबिया है, आप नाम लिये बगैर नहीं रह सकते हैं। लेकिन उन नामों का श्रम मंत्रालय की आलोचना से कोई संबंध नहीं है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : बिलकुल उद्योग मंत्री थे। ऐसा है कि जब डिबेट हो रही है तो माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इतना अधिक इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। मैं खुद ही सारी चीजों का क्रिटिकल एनालेसिस कर रहा हूं तो मुझे मुझे अपनी वाणी प्रकट करने का मौका मिलना चाहिए।

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu) I am very happy to know that you are a follower of Acharya Narendra Dev and Dr. Lohia... (*Interruptions*)...

डा० रत्नाकर पाण्डेय : आचार्य नरेन्द्र देव और डा० लोहिया का नाम मैंने लिया है। मैं दो व्यक्तियों का नाम ले रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के भूतपूर्व उद्योग मंत्री और प्रधान मंत्री जिस तरह से आपस में लड़ रहे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): You mean to say that this is some kind of labour problem... (*Interruptions*)...

DR. RATNAKAR PANDEY: Yes, he had been the Industry Minister and it is very much related... (*Interruptions*)...

SHRI V. GOPALSAMY: He has got some labour pains and that is why he is trying to deliver it... (*Interruptions*)...

DR. RATNAKAR PANDEY: Labour pains of the previous Government.

मैं कह रहा था कि जिस तरह से विरोधी दल के लोगों ने आपस में विचारों का युद्ध किया और जिस तरह से टुकड़े-टुकड़े होते रहे, चाहे 1977 से 1980 हो, चाहे 1989 से श्री नरसिंह राव की सरकार बनने तक दो-दो सरकारें हों, वह सब देश की जनता के सामने है। आप जानते हैं कि स्कूटर इंडिया, लखनऊ जो एक औद्योगिक संस्थान था, ट्रेक्टर इंडिया जो सुल्तानपुर का संस्थान था, यू.पी. सीमेन्ट इम्प्लाइज कारपोरेशन जिसको उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े औद्योगिक तीर्थ के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था, उनका क्या हुआ? इन तीनों औद्योगिक संस्थानों के मजदूर चाहते हैं कि अगर सरकार इन तीनों उपक्रमों को चलाने में असक्षम है तो इन्हें हम मजदूर चलायेंगे और....(**व्यवधान**)....

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि शासन में आकर आचरण की पवित्रता का बड़ा महत्व होता है और पिछली सरकारों ने, मैं तारीफ करूंगा अजीत सिंह की जो सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपने यहां के उद्योग सचिव और मुख्य सचिव को भेजा कि जब तक इंडस्ट्री मिनिस्टर यस न कह दे तब तक कोई कारखाना चाहे प्रांतीय हो या केंद्रीय हो वह नहीं बेचा जा सकता, किसी पूंजीपति के हाथ नहीं बेचा जा सकता। मैंने अजीत सिंह जी को फोन किया। मैं देश की कई दर्जन मजदूर यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष हूं जिनमें दस-दस, बीस-बीस हजार लोग काम करते हैं। मजदूरों के हित में मैंने बराबर आवाज उठाई है। हमारे कम्युनिस्ट मित्रों को यह नहीं मालूम है। आप तो लाल झंडा गाड़कर व्यवस्था के विरोध में व्यवस्था को तोड़ते हैं और उत्पादन को घटाते हैं। लेकिन हम तिरंगा झंडा गाड़कर सारे मजदूरों एक होओ और दलीय आधार पर नहीं बल्कि तमाम विश्व के मजदूरों अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ो इसकी मांग करते हैं और महात्मा गांधी के तिरंगे झंडे के नीचे हम उनको बांटने का काम नहीं करते हैं बल्कि एक होने की बात करते हैं। मैं अजीत सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने वह सौदा रुकवा दिया और मेरे आग्रह पर लाबी में आये और जब मैंने उनको सारी चीजें बताई तो उन्होंने सौदा रुकवा दिया। फिर दूसरी सरकार आई वी. पी. सिंह के बाद की, उस सरकार को अभी अधिक दिन नहीं हुए लेकिन 2 तारीख से सात हजार दो सौ मजदूर, जो तीनों यूनिटों में काम करते हैं उनमें से एक हजार मजदूर चलकर आये, लखनऊ से, मिर्जापुर से और उन उत्पादन केंद्रों से। वे यहां हमारे प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव से मिले। उन्होंने मजदूरों को आश्वासन दिया कि जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पालिसी है, जिसके अनुसार हम कल-कारखानों में मजदूरों को भागीदारी और मालिकाना हक देना चाहते हैं, उसका प्रयोग यू.पी. सीमेंट कारपोरेशन के माध्यम से हम करेंगे। पहला प्रयोग हम वहां से करेंगे यह हमारे प्रधानमंत्री आश्वासन दिया और पिछली सरकार, जिसके बारे में चर्चा है कि 50 करोड़ रुपया लेकर, मुख्य मंत्री और प्रधानमंत्री ने उस कारखाने को बी.जे.पी. के वाइस चेयरमैन विश्व हरी डालमिया की डालमिया इंडस्ट्री के हाथ बेच दिया और आज... (**व्यवधान**)...उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का सात हजार मजदूर घेराव लखनऊ में किये हुए हैं और एक पग भी हटने के लिये तैयार नहीं हैं। जो बी.जे.पी. की सरकार उत्तर प्रदेश में है, जो विश्व हिन्दू परिषद के हाथों बिकी हुई है वह कोई निर्णय नहीं ले पा रही है।

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

वहां के मजदूर यहां आये और हमारे प्रधान मंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया कि उनको तीन महीने की तनख्वाह दी जायेगी, चाहे जैसे भी हो । सेठों के हाथों मे बिक गये बी.जे.पी. लोग उस वक्त विरोध कर रहे थे लेकिन आज उनकी हिम्मत नही है सामने आने की उनकी करनी और कथनी में भेद है । आज विश्व हिन्दू परिषद के उपाध्यक्ष के नाम बेचे गये कारखाने ...(**व्यवधान**)... चंद्रशेखर और मुलायम सिंह के हाथ से...(**व्यवधान**)...हिम्मत नहीं है। बैठिये उनके पास हिम्मत नहीं है । मजदूर खड़े हुए हैं और वहां के मुख्य मंत्री कल्याण सिंह को घेरे हुए हैं लेकिन वे कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जब हमारे वे मजदूर दिल्ली आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री उनको आश्वासन देते हैं कि हम मजदूरों की भागीदारी का प्रयोग इसी कारखाने से करेंगे। महोदय, मैं सरकार से और विशेषकर श्रम मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो मेमोरेंडम हमने दिया है एक हजार मजदूरों के साथ और जो प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया है उस वायदे को आप पूरा करिये । मजदूरों को जून, जुलाई और अगस्त का, आज वहां भुखमरी फैली हुई है, 18 मजदूर मारे गये हैं एक मजदूर लखनऊ में मार दिया गया उसकी विडो को और 18 मजदूरों को प्रधानमंत्री जी अपने फन्ड से उनकी सुरक्षा के लिए धन देने वाले हैं। उनको तीन महीने की तनख्वाह मिले। यह सौदा जो डालमिया के हाथों बेचा गया है, वह इतना प्रभावशाली है कि जो मीडिया है उस पर उसका अधिकार है (**व्यवधान**) सारा सदन इस के समर्थन में है और बी.जे.पी. के लोग अपनी पोज़ीशन क्लीयर करें कि वे इसमें समर्थन में हैं या नहीं हैं (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिम बंगाल): वे मजदूर जो जब लखनऊ धरना दे रहे हैं उन्हें आज उत्तर प्रदेश की पुलिस के जरिये खदेड़ा जा रहा है, यह मैं आपको सूचना देना चाहता हूं (**व्यवधान**)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं जानता हूं कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेता वहां गये थे। बी.जे.पी. के कई नेता गये थे । बी.जे.पी. के एम.पी. और एम.एल.एज. की पीज़ीशन फाल्स हो रही है, तनख्वाह नहीं बंटवा पा रहे हैं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं । हमारे सदन के माननीय सदस्य श्री गुरुदास जी गये। जब दो दिन की राज्य सभा की मीटिंग हुई थी, चन्द्रशेखर जी प्रधान मंत्री थे, इस इश्यु को उठाया गया था और कई सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया था, मैंने भी भाग लिया था। हम ने श्रम की जय हो, श्रममेव जयते का नारा दिया है। डालमिया जो कब्जा करना चाहते हैं उस कब्जे को हटाने का काम केन्द्रीय सरकार को करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार विश्व हिन्दू परिषद् के हाथों बिक चुकी है। उस में हिम्मत नहीं है कि वह कुछ कर सके। ऐसी सरकार को तुरंत सस्पेंड करना चाहिये। हम विश्वास करते हैं कि अब मजदूर ही उनके ताबूत में कील ठोकेगा । उत्तर प्रदेश सरकार को डालमिया सीमेंट फ़ैक्टरी का मजदूर नाश करके छोड़ेगा (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) श्रीमन्, मैंने पहले भी कहा है और अब फिर कह रहा हूं कि मामला कोर्ट में है। इनको इतनी जानकारी नहीं है। यह इतनी समझदारी से कम से कम काम ले। इट इज सबजुडिस। इनको इतना भी मालूम नहीं है क्या। कहते हैं यूनियन के अध्यक्ष हैं। पता नहीं कैसे अध्यक्ष हैं। परमात्मा जानता है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं माननीय माथुर साहब की बात को समझ रहा हूं। कितने बड़े ईमानदार हैं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। 730 करोड़ रुपया इस समय उस कारखाने का मूल्यांकन हुआ और डालमिया ने उसको एक करोड़ में खरीद लिया।

श्रीमती कनला सिंहा : उपसभाध्यक्ष महोदय, इनके लिए क्या कोई समय सीमा है क्या ?

डा० रत्नाकर पाण्डेय :जब आप बोल रही थीं तो मैंने कोई समय सीमा नहीं बांधी थी ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर :डालमिया से बी.जे.पी. का कोई संबंध नहीं है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : विश्व हिन्दू परिषद् के कितने लोगों को टिकट दिया है आपने, बता इये। **(व्यवधान)** । । भारतीय जनता पार्टी ने अपना अस्तित्व ज़ीरो रख दिया है डालमिया के हाथों में जो विश्व हिन्दू परिषद् के उपाध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में हिम्मत नहीं है **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप तशरीफ रखिये। आप चिल्ला चुके हों तो मेरी बात सुन लीजिये। **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Mathurji, you can reply when your turn comes.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Not reply. Sir, number one, he has taken the name of Mr. Dalmia who is not a Member of this House, and is not present. It should be expunged. Number two, Mr. Dalmia is not a member of BJP. Number three, he is talking nonsense about BJP here. (*Interruptions*)

यह एक खानदान के बंधुआ मजदूर हैं, इनको आजाद कराइये। **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अमीन : देखिये, किस तरह से यह बोल रहे हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर हां, ठीक बोल रहा हूं। **(व्यवधान)** खानदान का नाम भी लेता हूं ! खादनदान के तुम बंधुआ मजदूर हो **(व्यवधान)** बंधुआ मजदूर हो.. ! **(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पाण्डेय : तमीज से बात करो सदन में। * **(व्यवधान)** * **(व्यवधान)**

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री नरेश सी० पुगोलिया (महाराष्ट्र): क्या बात करते हैं आप लोग **(व्यवधान)**

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): W eare pround to say that we are the slaves of Rajiv Gandhi and his family. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Order, order. Please sit down.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : परिवार के बंधुआ मजदूर हो **(व्यवधान)**

श्री रत्नाकर पाण्डेय : ओवरसीज बी.जे.पी. बना कर अमरीका के पैसे पर इस देश की । आप लोग हैं **(व्यवधान)** ओवरसीज बी.जे.पी. बना कर अमेरीका के हाथों आपने * **(व्यवधान)**

उपसभापति (श्री एम. ए. बेबी): पाण्डे जी आप कंक्लुड करीये

DR. RATNAKAR PANDEY: I am coming to the point, Sir. Just one minute. They have no face to talk in this House. They have sold their soul and their personality to Dalmia, the Vice-President of the Vishwa Hindu Parishad. (Interruptions)

इन लोगों ने ओवरसी जी.बी. जी. बनाई और अमरीका से पैसा ले कर की अस्मिता को और इस देश की गरिमा को बी.जे.पी. ने बेच दिया । और इनके नेता आडवाणी जो अमेरिका जाकर ओवरसीज बी.जे.पी. की मीटिंग अटेन्ड करते हैं । क्या बात करते हैं राष्ट्रीयता की । सोनिया गांधी की, राजीव गांधी की । इन्होंने कभी बलिदान दिया है ? इन्होंने सन 1942 के आंदोलन में गद्दारी की । राष्ट्र को तोड़ने वाले तत्व है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY : Now, with brief reference to the working of the Labour Ministry, you please conclude.

DR. RATNAKAR PANDEY: Can they face the 85 crore people of India?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Come to the subject and please conclude.

डा. रत्नाकर पाण्डेय : मेरे कहने का आशय यह है कि जो सीमेंट कारपोरेशन आफ य. पी. है, उसको सी.सी.आई. यानी सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया ले ले और तत्काल यह सौदा रद्द होना चाहिए।

मैं बताना चाहता हूं कि भारत में कार्यरत मजदूरों की संख्या 1985 में लगभग 27 करोड़ थी। इसमें 2.55 परसेंट के हिसाब से वृद्धि हुई है और 1990 तक यह संख्या लगभग 30 करोड़ 91 लाख हो गयी है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा श्रमिक कारखानों में काम करते हैं। ज्यादा श्रमिक जो कारखानों में काम करते हैं उनमें मुख्य श्रमिक घरेलू, उद्योग श्रमिक, कृषक मजदूर, सीमांत श्रमिक, गैर श्रमिक जनसंख्या वाले मजदूर आदि इन श्रमिकों की जो संख्या है वह इतनी अधिक है कि उनकी वास्तविक जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं होती है।

मैं बचावत वेतन बोर्ड की भी बात करना चाहूंगा। उनके कार्यान्वियन और मानीटरिंग का काम आपकी सरकार ने कुछ किया था और जो विशेष समिति गठित हुई थी समाचार पत्रों के लिए उसने 15.1.91 को एक अपनी रिपोर्ट दी है। स्वास्थ्य, विज्ञान, चिकित्सा, अवकाश भत्ता आदि पहलुओं पर एक रिपोर्ट दी है। पत्रकारों में जो श्रमिक पत्रकारों पर बचावत कमेटी के एक्सपर्टस की जो रिपोर्ट है उसका तुरन्त इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए।

महोदय, बिहार में जो श्रमिक हैं उन्हें प्रतिवर्ष 9,380 रुपये मिलते हैं, हरियाणा में 10,827 रुपयं मिलते हैं, जम्मु और काश्मीर में 5,429 रुपये मिलते है, दिल्ली में 9,355 रुपये मिलते हैं, राजस्थान में 11,117 रुपये मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में 8,409 रुपये मिलते हैं और आसाम में 10,599 रुपये मिलते हैं। यह जो मजदूरों का विभेद है इस में एकरुपता आनी चाहिए और सारे देश में मजदूरों को साल में मिलने वाला वतन भत्ता एक सा होना चाहिए।

बोनस संदाय अधिनियम, 1995 में 8.33 परसेंट की दर से न्यूनतम बोनस देने की व्यवस्था आपने की है और पात्रता के लिए वतन की सीमा 2500 रुपये प्रतिमाह की है। यह सीमा पहले 1900 से बढ़ाकर अब 2500 रुपये प्रतिमाह वेतन पाने वाले मजदूरों पर लागू होती है। जो बचावत जी की अध्यक्षता में रिपोर्ट आई है उसमें दो वेतन बोर्डों का गठन किया गया है, उनको श्रमजीवी पत्रकारों और गैर श्रमजीवी पत्रकारों का स्वरुप दिया गया है और न बोर्डों ने एक मई, 1989 के मल वेतन पर 7.5 प्रतिशत या न्यूनतम 49 रुपये अंतरिम राहत देने की सिफारिश की है। आप आश्वासन दीजिए कि चाहे वे श्रमजीवी पत्रकार हो या गैर श्रमजीवी पत्रकार उन पर बचावत समिति के विभिन्न वेज बोर्डस की सिफारिशें आप लाग करेंगे और किसी भी अखबार के किसी भी मालिक के दबाव में आप ऐसा कुरू नहीं होने देंगे जिससे वेतन की असमानता पत्रकारों के बीच में हो। आप कहते हैं कि पत्रकार चौथी और पांचवीं शक्ति हैं, तो उस उक्ति को ठीक करिये। कम से कम उनके साथ न्याय करिये, और मजदूरों के साथ करिये जो पहले से ही कितने कष्ट में हैं। सरकार जो अंतरिम राहत देने की घोषणा करती है वह अंतरिम राहत देने की स्थिति ही न आये इतना सम्पन्न उन्हें कर दें।

बोर्ड ने अंतिम रिपोर्ट 21 मई, 1989 को पेश की और छोटे-छोटे संशोधनो के साथ 31 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर स्वीकार कर लिया गया है।

बचावत वेतन बोर्ड ने सिफारिशों के साथ पत्रकारों और समाचार-पत्रों में

काम करने वाले गैर-पत्रकार कर्मचारियों को आवास भत्ता, शहरी भत्ता कितना दिया जाए, यह सवाल सरकार के विचाराधीन है । कब तक विचार करियेगा ? जल्दी विचार करके उसको एक्सीक्यूट करिए और वितरण करवाना शुरू करिए।

बंधुआ मजदूर प्रथा अधिनियम, 1979 के तहत सारे देश से बंधुआ मजदूर प्रथा समाप्त करने की बात की गई थी । नये बीस-सूत्री कार्यक्रम के तहत बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में हमने बहुत कुछ किया, लेकिन आज भी जो मजबूत हैं, वह गांव में बंधुआ मजदूर बना करके आधा-आधा किलो चावल में दिन-दिन भर परिश्रम करवाता है। पूरे पेट भोजन भी नहीं देता है, कोड़े भी मारता है । यह अवस्था गांवों में, पिछड़े हुए इलाकों में विशेषकर जो गरीब प्रदेश हैं, उनमें व्याप्त है । उनके लिए कोई न कोई समितियां आप निर्धारित करें ।

जो 31 मार्च, 1989 को राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें 2,42,42,918 की संख्या में बंधुआ मजदूरों का पता लगा है, उन्हें मुक्त करवाया जा चुका है और 10,091 को उनमें से पुनर्वासित किया गया है । लेकिन यह संख्या बहुत कम है । 31 मार्च 1989 तक 969.38 लाख रुपये अनुदान की राशि इनके लिए जारी की गई है ।

जिन प्रतिष्ठानों में सौ या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, वहां कार्य समितियां स्थापित करने की बात सरकार ने की है । वहां कार्य समितियां स्थापित हों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को बराबर प्रतिनिधित्व मिला । 31 दिसम्बर, 1988 को 561 प्रतिष्ठानों में कार्य समितियां कार्य कर रही हैं।

प्रबंध में श्रमिकों को भागेदारी की बात मैंने थोड़ी सी की है । श्रम कल्याण नीतियों की स्थापना, आवास योजनायें, शिक्षा, जलापूर्ति, मनोरंजन, व्यावसायिक सुरक्षा, आय की सुरक्षा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास विग खानों के लिए बनाया जाए । खान सुरक्षा संबंधी प्लान, दुर्घटना उन्मुख खानों का पता लगाया जाए तथा उनसे कैसे बचा जा सकता है, खान विकास सेवाओं का विकास और प्रशिक्षण उचित ढंग से किया जाए । किस तरह से सामाजिक सुरक्षा आप दे सकते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1984 का विधिवत पालन करवाइये। कर्मचारी राज्य बीमा की व्यवस्था करवाइये।

अस्पताल, औषधालय, पुस्तकालय, परिवार कल्याण, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1991 का पालन करवाइये सस्ते दर पर ऋण की व्यवस्था करवाइये । कर्मचारियों की पेंशन योजना लागू करवाइये।

महिला और बाल श्रमिक या असंगठित श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी--या तो वैसी समस्यायें हैं कि मजदूरों को हम काम नहीं करने देंगे--यहां बिल आया और हम लोगों ने पास किया । (समय की घंटी) मैं पांच मिनट समय और लागू ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Mr. Pandey, the rest of the demands if you give in writing, I think the Minister will definitely carry them.

DR. RATNAKAR PANDEY: If I have to give anything in writing I can write thesis and submit to the Minster. I am a Member of ths House, I may kndly be allowed to speak. I am always obeying your order, Sir.

तो शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान की व्यवस्था में रोजगार सेवायें, राष्ट्रीय बाल समिति, नीति आदि को आपको लागू करना होगा ।

मैं कुछ उदाहरण देकर अपनी बात कहना चाहूंगा कि ऐसे कुछ प्रतिष्ठान हैं। अब बाल श्रमिक और महिला श्रमिक दो प्वाइंट्स पर मैं आना चाहूंगा ।

हमारे यहां जो बाल श्रमिक हैं, उनमें हाथ-करघा, पावरलूम, खादी ग्रामोद्योग, लघु उद्योग, रेशम उत्पादन उद्योग, हस्तशिल्प, नारियल उद्योग, बीड़ी उद्योग, तथा अन्य उद्योग, इन सभी में लघु उद्योगों के असंगठित क्षेत्र हैं और इनमें जिस रूप में काम लिया जाता है--पिछली बार हमारे पास मिरजापुर के गलीचे के रोजगारी आये--मैं वहां का

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

रहने वाला हूं--और कहा कि चौदह साल के कम बच्चों की अंगलियां बड़ी मुलायम होती हैं और वह बड़ा अच्छा गलीचा बुनते हैं, तो हमको छूट मिल चाहिए कि वह बाल श्रमिक काम करते रहें, जो सर्वथा अनुचित है । चाहे किसी सेठ का बेटा हो, चाहे किसी मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे किसी सैक्रेटरी का बेटा हो, चाहे किसी मजदूर का बेटा हो... शिक्षा को अनिवार्य बनाइये और बाल श्रमिकों से काम लेने वाले जो उनकी शिक्षा की अवस्था है, की कोई न कोई सीमा रेखा निर्धारित करिए और उसके बाद उनसे काम न लिया जाए। जो भूमिहीन श्रमिक हैं, जो मछुआरे हैं, ग्रामीण कारीगर हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित लोग हैं जनजातियां श्रमिक हैं, उनको भी आप रोजगार मुहैया करिए । इस समय देश में जो सरकारी प्रतिष्ठान है; उसमें कितने सरकारी प्रतिष्ठान हैं जो लगातार नुकसान में चल रहे हैं और उन्हे बछावत वेतन बोर्ड तो पत्रकारों के लिए आप लागू नहीं कर पा रहे हैं, सब के लिए क्या कर पायेंगे ? 1990 के दौरान बछावत वेतन बोर्ड की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन किया गया था अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में प्रत्येक राज्य सरकार को, बछावत वेतन बोड को तीव्र कार्यान्वयन के लिए उचित कदम उठाने के लिए भारत सरकार ने निर्देश दिए थे। समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने स्वास्थ्य, चिकित्सा अवकाश भत्ता, अवकाश प्राप्ति आदि पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सभी समाचारपत्र और उनसे जुड़े कर्मचारियों की विशेष भूमिका राष्ट्र के निर्माण में रही हैं । किस प्रकार यह लोग संसार भर में होने वाले घटनाचक्र के समाचार 24 घटे में गया देते हैं । आंधी हो या तूफ़ान हो, अपने प्राणों पर खेल करके सेना के, सीमा पर खबरें उठा करके चाहे खाड़ी युद्ध हो, समाचर देते हैं । तो बछावत कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे जरूर आप लागू करिए। आए दिन समाचार-पत्रों के दामों में, किसी न किसी बहाने अखबार वाले वृद्धि करते रहते हैं । चाहे कागज का दाम हो, चाहे प्रिंटिग का दाम हो, इनसे जुड़ हुए असली कर्मचारियों की भलाई का ध्यान वह नहीं देते हैं । तो इनमें एकरुपता व्याप्त हो और सारे समाचार पत्र केवल कागज का कोटा बचने वाले पूंजीपतियों के हाथ में श्रमिक का मूल्य नहीं देना है, बल्कि सरकार उनका ध्यान रखे जो कलम चलाते हैं, जो प्रिंटिग करते हैं, जो अखबार को स्वरूप देते हैं केवल पूंजी नहीं लगाते हैं, उनका ध्यान रखना इस सरकार का कर्तव्य है। सरकार ने स्वीकार किया हैं कि इस दौरान देश के समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में कुल संख्या 1792 में से 469 पत्रों ने बछावत कमेटी की सिफ़ारिशों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया हैं । 29 ने आंशिक रुप से और 1304 ने अभी तक लागु नहीं किया है । यह माननीय मंत्री जी, आपके रेफ्रेन्स के लिए है, आप नोट करिए । वार्षिक रिपोर्ट 1990 और 1991 के भाग 1 के पेज 55 के परिशिष्ट 11 में यह आपकी सरकार ने लिखा हैं, तो यह जो 1304 अखबार वाले हैं इनसे क्यों आपकी सरकार दब रही हैं ? सरकार में क्या कमजोरी हैं ? इनके ऊपर भी बछावत कमेटी की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए । मजदूरों के हमदर्द और मसीहा कहने वाले साम्यवादी, जो पश्चिमी बगाल में कई वर्षों से सत्ता में हैं वहां का यह हाल है कि कुल 417 अखबार प्रतिष्ठानों की संख्या में से अभी तक वहां पर 415 प्रतिष्ठानों ने बछावत कमेटी की सिद्धारिशों को लागू नहीं किया है । बड़ी बार कम्युनिजम की बात, राइट्स की बात और साउथ, दक्षिण ध्रुव की बात करते हैं यह लोग, लेकिन इनके अपने यहां क्या हो रहा हैं इसको भी देखे । सरकार से मैंने अनुरोध किया हैं कि समाचार-पत्रों को जिन्होंने अभी तक बछावत कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया है, एक विशेष लेबर कोर्ट या ऐसी ही कोई हाई पावर्ड कमीशन का गठन करिए, जो समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों को एक समयबद्ध चेतावनी देकर इनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करे। इस समय देश के समाचार-पत्रों पर पूंजीपतियों का कब्जा है । उनका आधिपत्य, उनकी मोनोपली समाप्त करने के लिए भी सरकार को कोई प्रभावी कदम उठाने चाहिएं और इन समाचार-पत्रों से जुड़े हुए कर्मचारियों के विभिन्न हाउसेज, बिग मोनोपली हाउसेज

अखबार निकालते हैं और पंफ्लेट की तरह उसका उपयोग करते हैं अपने व्यवसाय के लिए, वह पूंजीपतियों के अखबार सरकार पर दबाव डालते हैं, उस दबाव को रोकने के लिए कोई न कोई प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, फैक्टरी की बात मैंने की, डालमियां फैक्टरी की बात हो या स्कूटर्ज-इंडिया की बात हो या ट्रैक्टर्ज इंडिया की बात हो, यह सब कल-कारखाने बेचे गए हैं और पिछली सरकारों की आपकी नई इंडस्ट्रियल पालिसी तब तक सार्थक नहीं होगी माननीय मंत्री महोदया, नई पालिसी, या लेबर तक आप कुछ नहीं दे सकते हैं जब गक पिछली दो इंडस्ट्रियल सरकारों, का, राजीव गांधी के सत्ता से जाने के बाद, क्या अर्थ व्यवस्था थी, राजीव गांधी के समय क्या उद्योग के क्षेत्र में हमने हासिल किया थां और क्या अवसान किया ? आपकी सरकारीकरण की नीति से हटकर पब्लिक सैक्टर से हटकर प्रायवेट सेक्टर में कितने कारखानों को लोगों ने बेचा है, यह सबसे महत्व की बात है। जब तक आप इसे एक्सपोज नहीं करिएगा, लाख भाषण कर लीजिए चाहे जितने एन०आई०आर० को बुला लीजिए, जनता के बीच में कोई प्रभावशाली अस्तित्व आप नहीं बना पाएंगे। आप एक्सपोज करिए कि पिछली दोनों सरकारों ने कल-कारखानों को बेचा है ? मैं चाहूंगा कि इनकी संख्या बतायी जाए।

महोदय, इसके अतिरिक्त मैं खान में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके संबंध में कहना चाहूंगा। उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि हम उनको मास्क तक नहीं दे पाते हैं और वे मजदूर धुंआ, चूना और अन्य कैमिकल नाक के माध्यम से अपने दिल में उतार लेते हैं, अपने अंतर्व्यक्तित्व में उतार लेते हैं। आप उनको मास्क दीजिए और उनकी सुरक्षा कीजिए। ठेकेदार उनका शोषण कर रहे हैं क्योंकि वे मजदूरों की सप्लाय करते हैं। यह सप्लाय प्रथा बंद कीजिए। आप मजदूरों के साथ डायरेक्टट डीलिंग कीजिए। ऐसे प्रतिष्ठान जो कर्मचारियों की बकाया बीमा राशि नहीं देते हैं, उनको आप जरूर पकडिए। ऐसे दोषी प्रतिष्ठानों से वसूली योग्य कर्मचारी बीमा की 31-3-89 तक बकाया कुल राशि 116.64 करोड़ रुपए थी जो 31-3-90 को बढकर 135.26 करोड हो गयी है। इसमें 42.68 करोड रुपए की बकाया राशि उन प्रतिष्ठानों से संबंधित है जो कि बंद हो चुके हैं। इनसे वसूली की न्यायिक कार्यवाही तेज करनी चाहिए।

महोदय, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन विभिन्न राज्यों में कृषि कामगारों के लिए दैनिक न्यूनतम मजदूरी की दर एक जैसी नहीं है। यह उत्तर प्रदेश में 18 रुपए प्रतिदिन है तो आन्ध्र प्रदेश में और कम है। पंजाब में यह 33 रुपए प्रतिदिन है। तो अगर आप एकरूपता नहीं ला सकते हैं तो मजदूरों का भला आप क्या करेंगे ? मजदूरी सारे देश में एक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बंधुआ मजदूरी की जो प्रथा है, उसे आप समाप्त करिए। यह बडा भारी कलंक है हमारे जनतंत्र पर। जितने भी देश में बंधुआ मजदूर हैं, उन्हें मुक्त कराइये। जैसे कि जय प्रकाश नारायण जी ने डाकुओं का हृदय परिवर्तन कराया थां, उसी तरह आप इस बंधुआ मजदूरों को हमेंशा के लिए मुक्त कराइए और उसके लिए कानून बनाइए।

महोदय, हमारे देश में बहुत-सी लेबर एक्सपोर्ट एजेंसीज काम करती हैं जो जाली पासपोर्ट बनाकर थोक के भांव लोगों को विदेशों में रोजगार मुहैया कराने के लिए भेजती हैं। उनमें से अधिकांश जाली हैं। इस तरह की कितनी जाली मैन-पावर सप्लाय एजेंसीज काम करती हैं, उनके बारे में भी एक विवरण दीजिए साथ ही यह भी बताइये कि उनमें से कितनी रिकाग्नाइज्ड हैं ?

महोदय, हमारे उपसभाध्यक्ष साहब ने कहा कि अब खत्म करो। मैं इनकी बात जरूर मानता हूं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप सरकारी आंकडे न देकर आठवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन कोई समयबद्ध योजना बनाइए

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

जिससे कि पता लगे कि प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में कितने नए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकेंगे यदि ऐसी कोई योजना है तो उसकी पूरी जानकारी दीजिए ।

महोदय, जैसाकि मैंने कहा कि अगर आप इस देश में समाजवाद लाना चाहते हैं तो मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए। सोशलिज्म केवल किताबों में लिखा जाय, सोशलिज्म की केवल परिभाषा हो, संसद में सोशलिज्म के बारे में बड़ी-बड़ी बातें की जायें तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है । मैं नरसिंह राव जी की सरकार को सजैस्ट करना चाहता हूं, एक निर्भीक, स्पष्ट और देश की 85 करोड़ जनता तक मेरी आवाज इस सर्वोच्च सदन की दीवारों से टकराकर पहुंचे कि अगर आप गरीबी और अमीरी की रेखा को मिटाना चाहते हैं तो जितने पूंजीपति हैं, जितने बड़े-बड़े मल्टी-नेशनल घराने हैं, ये जितने दस, बारह या पंद्रह घराने हैं, आप वित्त मंत्री महोदय से कंसल्ट कर के बताइए कि कितना टैक्स इन घरानों पर बाकी है । आप इन सो काल्ड विग हाउससेस से सारा टैक्स वसूलिए, एक झटके में सारा टैक्स वसूलिए नहीं तो तुम्हारे कारखानों को हम नैशनलाइज कर लेंगे, यह उन्हें बता दीजिए । साथ ही उन में मजदूरों की भागीदारी कीजिए । तभी आप कुछ कर पायेंगे, नहीं तो सरकारें आती हैं जाती हैं, कानून पास किए जाते हैं, नयी-नयी योजनायें बनती हैं लेकिन कुछ होता नहीं है । एक और ऊंची-ऊंची अट्टालिकायें खड़ी हों और दूसरी ओर उन्हें बनाने वाला मजदूर झोंपड़ियों

4 P.M. में रहता है, . . . उसके लिए आप एक कमरे का मकान तक नहीं दे पाते हो। आप आप उन अट्टालिकाओं को ढहाओं मत बल्कि उन अट्टालिअकाओं से जो पूंजी श्रमिक का शोषण करके इकट्ठा कर रहे हैं पूंजीपति और जो सरकार से लाइसेंस, परमिट लेकर सरकारी धन, टैक्स को बचाकर अपना रोजगार बढ़ा रहे हैं, ऐसे पूंजीपतियों के लिए कानून बनाओ और उन्हें मीसा में बंद करो तभी जाकर के इस देश में "श्रमयेव जयते" का नारा सार्थक होगा । मैंने शुरू किया था— "सत्यमेव जयते" से, अब "श्रमयेव जयते" हमारा नारा है । राजीव गांधी ने "श्रमयेव जयते" "मेहनतकश की जय हो" का नारा दिया था और इन मेहनतकशों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम तो तभी संभव हो सकता है जब पूंजीपतियों के लिए कुछ कानून बने ।

अब आप एन०आई०आर० को आमंत्रित कर रहे हैं । कहीं ऐसा न हो कि अब तक तो पूंजीपतियों के दबाव में सरकारों को काम करना पड़ रहा है, आगे विदेश के जो पूंजिपति यहां आकर उद्योग लगायेंगे उनके दबाव में सरकार को काम करना पड़े, । इसके लिए आप कोई न कोई प्रोविजन जरूर करें । साथ ही इस देश के करोड़ों मजदूर, चाहे वह किसान मजदूर हों, चाहे बाल-मजदूर हो, चाहे महिला मजदूर हो, चाहे कारखानों का मजदूर हो, वे आपको सत्ता में लाते हैं, किसी सरकार को सत्ता में लाते हैं और जब वह उठ खड़ा होगा, आपके-सिद्धातों, आपके कार्यक्रमों आपके कार्य कलापों में एकरूपता देखेगा तभी जाकर इस देश में "श्रमयेव जयते" का नारा सही साबित होगा ।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे श्रम मंत्रालय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने नए मंत्री महोदय को आह्वान करता हूं कि खुलकर सामने आओ, अपने मंत्रीमंडल में लड़ो, श्रमिकों के लिए कुछ ऐसा करो जिससे "श्रमयेव जयते" का नारा सार्थक हो सके और आज जो करोड़ों मजदूर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए इंकलाब कर रहे हैं, उनका इंकलाब का स्वर बदले और श्रमयेव जयते की शक्ति की जय हो, जय हो । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Before I call the next speaker, I would like to point out one thing. The time allotted for the Congress Party is 108 minutes and the number of speakers is 9.

SHRI V. NARAYANASAMY: The time is 148 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): One hour and fotry-eight minutes. It comes to 108 minutes. Dr. Ratnakar Pandey has taken 52 miutes. Therefore, for the remaining 8 speakers, the time left is 56 minutes. Now, Shri Mohammed Amin.

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल): मिस्टर वाइस चैयरमैन सर, अभी हम लोग बहस कर रहेहैं मिनिस्ट्री आफ लेबर की फंकशिनंग के बारे में। इस सिलसिले में जो पहली बात है, वह यह है कि यह बहस हम लोग ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब मिनिटस्ट्री आफ लेबर में कोई लेबर मिनिस्टर ही नहीं। सरकार ने जिनको लेबर मिनिस्टर बनाया थां श्री राममूर्ति जी को, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफा देने की जो वजह अखबारों मे आई है, उसमें एक तो यह है कि कावेरी नदी के पानी का सवाल थां और दूसरा उन्होंने यह कहा कि इंडस्ट्रियल पालिसी स्टेटमेंट किया गया है, उसके बारे में उनसे कोई सलाह नहीं की गई थी। इसी से यह बात समझ में आ रही है कि लेबर मिनिस्टरी और लेबर के बारे में यह हुकूमत कितनी अहमियत इस सवाल को देना चाहती है। तो इसलिए अभी जो साहब इसके इंचार्ज हैं अब उनकी क्या हैसियत है, वह कब बने यह भी मैं नहीं जानता, लिहाजा मिनिस्टरी आफ लेबर की हालत देखते हुए बेसाख्ता यह शेर जबान पर आता है कि —

"मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की,
मर्ज बढता गया ज्यों-ज्यों दवा की।"

इस वक्त देश का नक्शा क्या है कि लाखों कारखाने बंद, हैं तकरीबन 2 लाख 40 हजार जिनमें छोटे भी हैं, दरमियाने भी हैं, बडे भी हैं। इन कारखानों के खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जब इसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी तभी से हम लोग देख रहे हैं कि यह हालत बिगड रही है। और आज तक वह बिगड़ती चली जा रही है। ...(व्यवधान)..

डा० रत्नाकर पाण्डेय : कई लोग तो 15 महीने में दो-दो सरकार बदल दिए।

श्री मोहम्मद अमीन : सरकारें बदल गई, लेकिन हालत नही बदली। आप जानते हैं कि कोई कारखाना खुला नहीं। अभी आप जब "डालमा" सीमेंट फक्टरी के बारे में बोल रहे थे, तो मैं बहुत गौर से आपकी बात सुन रहा था। यह कितना बडा अंधेर है कि 700 करोड रुपए से ज्यादा की सम्पत्ति एक करोड रुपए में डालमिया को दे दी गई। अब यह मुलायम सिंह यादव के जमाने में हुआ, इसकी अंदरुनी कहानी मुझे मालूम नहीं है। ...(व्यवधान)...

डा० रत्नाकर पाण्डेय : 50 करोड रुपए का लेन-देन हुआ है, वहां जनता चिल्लाकर कह रही है।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): निराधार आरोप मत लगाइए पाण्डेय जी। आपकी सरकार ने भी बेचा है।

श्री मोहम्मद अमीन: अब वह मामला अदालत में है और अदालत ने जो स्टीवचर बहस किया है, वह अखबारों में आया था। उसमें अदालत ने कहा है कि इतनी बडी जायदाद दे दी गई लेकिन जायदाद का कोई वेल्यूएशन तक नहीं हुआ, यही एतराज की बात है। अब सवाल यह है कि वहां की सरकार बदल गई, नई सरकार आई है—बी०जे०पी० की गवर्नमेंट, नई दुल्हन। "डालमा" सीमेंट फैक्टरी के सवाल पर इस दुल्हन का भी घूंघट उठ जाएगा और देश के लोग देखेंगे कि सरकारी जायदाद को निजी मिलकियत को देने के सवाल पर बी०जे०पी० की क्या पालिसी होती है।

[श्री मोहम्मद अमीन]

इस सवाल पर यू०पी० की गवर्नमेंट का भी इम्तिहान होगा और केन्द्र सरकार का भी इम्तिहान होगा । आपने जो बात कही है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई बाकायदा एलान नहीं हुआ है कि यह जो डालमिया को देने का सौदा हुआ है, इसको मन्सूफ कर दिया जाएगा, ऐसा कोई बाकायदा बयान सरकार की तरफ से नहीं आया है । यह एक नमूना है कि हमारे देश में क्या हो रहा है ?

कारखाने बन्द हो रहे हैं, उनके बारे में अगर सरकार से पूछिए कि इनका क्या होगा तो वह दिखा देती है कि बी०आई० एफ० आर०-बोर्ड फार इंडी-स्ट्रियल फाइनेंस रिकन्स्ट्रक्शन, लेकिन इस बोर्ड का काम जिन लोगों को मालूम है, वे अब इस नतीजे पर पहुंच हैं कि बी० आई० एफ० आर० का नाम होना चाहिए-बोर्ड फार इंडस्ट्रियल फ्यूनरल राइट्स मंत्र पढ़कर क्रियाकर्म कर दो, इसके सिवा कोई काम इसका नहीं है । मैं कई मुकदमें ऐसे जानता हूं जो इनके सामने पेश हुए थे । वे कहते हैं कि 300 मजदूरों को निकाल दो तो फाइनेंशीयल इंस्टीट्यूशन रुपया देगा । अब यूनियनों के लिए, चाहे वह कोई भी यूनियन हों, किसी दल की हो, किसी झंडे की हो, उनके लिए मुसीबत होती है कि बोर्ड जो कहता है उसको नहीं मानें तो कारखाना नहीं खुलेगा, मजदूर भूखे मरेंगे और बोर्ड जो कहता है, उसको मान ले तो काम का बोझ इतना बढ़ जायेगा कि उसके नीचे दबकर मजदूर मर जायेगा । उनकी मौत दोनों ही सूरतों में है । बताइए बंद कारखानों का क्या होगा ?

इसके अलावा लेबर मिनिस्ट्री के नीचे कितनी सरगर्मियां होती हैं, एक-एक पर आप निगाह डालें तो हर तरफ से मायूसी होगी । ई०एस०आई० में बुरा हाल है, मजदूरों को दवा नहीं मिलती । दवा को जो लिस्ट है, एक खुफिया सरक्यूलर के जरिए ई०एस० आई० ने डाक्टरों को हिदायत दी है कि जो महंगी दवायें हैं, वे मजदूरों को न लिखी जायें, लिस्ट काट दी गई । अरबों रुपया ई० एस० आई० में मजदूरों का जमा हो गया है, जो पैसा मजदूरों का है, मगर उस पैसे से मजदूरों का कोई भला नहीं हो रहा है । वह पैसा सरकार कहां इस्तेमाल कर रही है, किसी को मालूम नहीं है ? ई० एस० आई० के सवाल पर मजदूरों के दिल में बेपनाह गम-ओ-गुस्सा भरा हुआ है । अभी हाल में 1600 से ज्यादा जिनकी तनख्वाह मिलती है, वे उसके बेनिफिट से महरुम हैं, वे उसकी कवरेज में नहीं आते हैं, जब तक कानून बदल नहीं दिया जाता । इस तरह से लाखों लोग हैं जिनको ई०एस० आई० का लाभ नहीं मिल रहा है । यही बात हाऊसिंग का है । कोई नया घर बन नहीं रहा है, जो पुराने घर बने हुए हैं, उनकी हालत दिन-प्रति-दिन बिगडती चली जा रही है । न उनमें पानी है, न उनमें बिजली है, मजदूरों की रिहाइशी हालत बिगडती जा रही है दिन-प्रतिदिन अभी एक नेशनल कौंसिल फार सेफ्टी इन माइन्स है, यह एक खुद मुख्तार इदारा था उसको उठा दिया गया है । 49 आदमी उसमें काम करते हैं । मेरे ख्याल से 5 साल से वे लोग बेकार पड़े है और यह अगरचे आपके डायरेक्टर जनरल आफ माइन्स एंड सेफ्टी के अंडर यह इदारा था मगर उनके लिये कोई कुछ कर नहीं रहा है । उसमें हादसे भी होते हैं । उनको चाहिये था कि अगर यह इदारा आप उठाते हैं तो उनको अब्जर्व करलें, सरकार के डिपार्टमेंट में लें लें, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है । यहां नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट जब थी तो इस सदन में वह एक कानून ले आयी थी -- बर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मेनेजमेंट । उस बिल में कुछ कमजोरियां थी, जिनके बारे में ट्रेड यूनियनों से बातचीत भी हुई और मुझे यकीन है कि वह सरकार अगर चलती तो वह उसमें सलाह करके अब तक कोई कानून बन चुका होता । मगर उसके बाद वह कोल्ड स्टोरेज में चला गया । अब देश की सनती तरक्की में मजदूरों का कोई सहयोग न हो तो देश तरक्की कर सकता है, इस पर यकीन करना मुहाल है ।

इसी तरह से रामानुजम कमेटी बनी थी--नेशनल रिलेशंस बिल नये सिरे से बनाने के लिये। इसमें तमाम यूनियनें इस सवाल पर एक राय नहीं हो सकी कि ट्रेड यूनियनों को रिकॉग्नाइज्ड करने के लिये सीक्रेट बैलट, खुफिया रायदेही की जो मांग है वह मानली जाये। लेकिन उसका फिर कुछ हुआ नहीं है, वह भी मामला उसी तरह से पड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के संविधान में अब तक काम करने के हक को बुनियादी हक के तौर पर तसलीम नहीं किया गया है। क्या यह सोच सकते हैं कि एक देश जो सही मायनों में आजाद देश कहलाता है और जिसके नेता इस बात का दावा करते हैं कि वह समाज तन्त्र की तरफ चले जायें, ऐसे देश के संविधान में उन लोगों के लिये जिनके हाथ पांव सलामत हैं, मेहनत करके अपनी रोटी कमाना चहते हैं, उनके लिये काम करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके क्या मायने होता है और अभी तक लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जिसको इसके लिये सबसे ज्यादा लड़ना चाहिये था, कोई आवाज बुलन्द नहीं की गयी। इसलिये मैं यह मुतालबा करना चाहता हूं कि यह जो बड़े-बड़े मसायल हैं, जिनका मजदूरों की जिंदगी से गहरा सम्बन्ध है, इस पर लेबर मिनिस्ट्री गौर करे, ट्रेड यूनियनों के साथ सलाह करे, उनकी राय लें, क्योंकि जिंदगी ऐसे मोड़ पर हम लोगों को ला रही है, कि ट्रेड यूनियनों के अंदर भी जो इख्तलाफात थे, जो मतभेद थे वह धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। इस वक्त ऐसा देखा जा रहा है कि जो अहम सवालात हैं, बड़े सवालात हैं उन पर आई० एन०टी०यू०सी०, सी०आई०टी०यू०सी०, ए०आई०टी०यू०सी०, हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर पंचायत, बी०एम०एस० और तमाम केन्द्रीय यूनियनें एक राय हो जाती। उसके बावजूद सरकार उसको कोई अहमियत देना नहीं चाहती, यह बड़े अफसोस की बात है। तमाम केन्द्रीय यूनियनें जिस सवाल पर सहमत हो जायें उसको तो फौरन तसलीम कर लेना चाहिये और उसको इम्प्लीमेंट, अमल दरामद करने के लिये कदम उठाना चाहिये। जितनी ट्राईपार्टाइट कमेटियां हैं, पी०ए०सी० कमेटी हो, इंडस्ट्रियल कमेटी हो, एडवाइजरी कमेटी हो, वेज पोलिसी हो, कोई काम नहीं हो रहा है, डिफंक्ट होकर पड़ा हुआ है। लेबर कांफ्रेंस--उसकी मीटिंग कब होगी, कोई नहीं जानता? पिछली लेबर कांफ्रेंसेज में जो फैसले हुये हैं उन पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हुआ और खास करके जिन बातों से मजदूरों का कुछ भला हो सकता है, कुछ उनको अधिकार मिल सकते हैं, ऐसे फैसलों पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं होता है।

हमारे देश में बोनस का कानून बना हुआ है--पेमेंट आफ बोनस एक्ट। इसके बारे में तमाम यूनियनें यह कह रही हैं कि इस पुराने कानून को बदल देना चाहिये, क्यों बदलना चाहिये? एक तो यह है कि 20 परसेंट से ज्यादा बोनस मिल नहीं सकता, चाहे मालिक जितना नफा कमाले, सीलिंग लगी हुई है। दूसरा यह है कि मजदूरों, कर्मचारियों और मुलाजमिन के एक हिस्से को जिनकी तनख्वाह एक हद से ऊपर है, मासिक 1600 रुपये है, जहां तक मुझे याद है, उनको बोनस नहीं मिलेगा। यह बेइंसाफी की बात है। प्राईवेट मालिक, अगर मुनाफा उनको होता है तो यह इन्ही लोगों की मेहनत से होता है। फिर उसका हिस्सा उनको क्यों नहीं मिलेगा? इसलिये बोनस एक्ट में तरमीम करने की जरूरत है। एक सवाल बहुत बड़ा है, यह जो कंज्यूमर्स प्राईस इंडेक्स का नया सीरीज, जिसमें बुनियादी साल 1982 को बनाया गया है। इस सवाल पर भी तमाम यूनियनें और खास मजदूरों के दिल में क्षोभ है, गुस्सा है। क्यों? गुस्सा इसलिए क्योंकि पुरानी जो सीरीज थी, जिसमें 1960 को बुनियादी वर्ष माना गया था, उसको बदलकर 22 साल के बाद 1982 को बुनियाद वर्ष बना दिया गया जिसकी वजह से मजदूरों के

[श्री मोहम्मद अमीन]

साथ धोखा हुआ है । सरकार आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दे सकी कि 1960 को बदलकर 1982 को बुनियाद वर्ष बना देने की क्या वजह है और फिर जिस तरह से यह स्टडी की जाती है वह भी गलत है । कीमतों का जो मुख्तलिफ हिस्सों में बाजार भाव कलेक्ट किया जाता है उसमें भी गड़बड़ है और इस तरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के सवाल पर मजदूरों के दिल में सरकार के प्रति एतबार उठ गया है और आप जानते है कि एतबार का उठ जाना बड़ा खतरनाक होता है । फिर मेहनतकश अवाम कहां जाएं ? वह अगर गुस्से में सड़कों पर उतर जाए तो इसमें हैरत को कोई बात नहीं होगी और एतराज की भी कोई बात नहीं होगी ।

कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साल पर लेबर मिनिस्ट्री को चाहिए कि वह तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को बुलाए उनकी राय ले । उनके पास ठोस आरग्यूमेंट्स हैं और वे साबित कर सकते हैं कि मजदूरों के साथ बेइंसाफी हो रही है, धोखा हो रहा है । यह ख्याल जब तक उनके दिल से निकलेगा नहीं, तब तक यह काम ठीक से होगा नहीं ।

महंगाई तो बढ़ती जा रही है लेकिन महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती है, महंगाई भत्ता उससे कम मिलता है । जैसे-जैसे समय जा रहा है, वैसे-वैसे जो रीयल वेज हैं, असल उजरत, वह कम होती जा रही है । अब नतीजा यह होता है कि एक आदमी कमाकर दूसरे आदमी की परवरिश नहीं कर सकता । यह भी उसके लिए मुहाल हो रहा है । इसलिए इस मामले को दुरुस्त करने की जरूरत है ।

श्रीमती कमला सिन्हा जी ने औरत मजदूरों का जिक्र किया और बताया कि किस तरह उनके साथ जुल्म होता है, बेइंसाफी होती है । अब हमारे देश में बहुत दिन पहले मैटरनिटी बैनिफिट ऐक्ट पास किया गया लेकिन उस ऐक्ट के पास करने के साथ हमने यह शर्त नहीं लगाई कि जिस कारखाने में, जिस उद्योग-धंधे में, जिस कारोबार में औरत मजदूरों की तादाद जितनी है, वह तादाद बरकरार रखनी होगी, उसको घटाने की इजाजत नहीं दी जाएगी । इस कमी की वजह से क्या हुआ कि जो कल-कारखाने के मालिक हैं उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया कि औरत मजदूरों की तादाद घटा दी क्योंकि वह जानते हैं कि मर्द मजदूरों को मैटरनिटी बैनिफिट ऐक्ट का फायदा नहीं मिलेगा । इसलिए अगर आज सर्वे करके देखा जाए कि जूट इंडस्ट्री, चाय बागान और दूसरे उद्योग धंधों में जहां औरतों की तादाद बहुत ज्यादा थी, आज वह कम हो गई है । मैं जूट इंडस्ट्री की बात जानता हूं । सन् 1947 में चटकल में काम करने वाली औरतों की तादाद 30,000 थी । किसी जमाने में मेरी मां ने भी काम किया । आज वह तादाद घटकर 3,000 भी नहीं रह गई यानी 27,000 साफ । इसलिए मैटरनिटी बैनिफिट ऐक्ट में संशोधन कीजिए । अब जो हो चुका, उसको वापस लाना तो दूर की बात है । मैं कहता हूं कि जो औरतें रह गई हैं उनको बचाने का इंतजाम किया जाए नहीं तो कुछ दिनों के बाद यह देखा जाएगा कि इन कल-कारखानों में कोई औरत मजदूर नहीं रहेगी ।

इसके अलावा मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि अभी जो आपके कल कारखाने हैं इनके मसले अपनी जगह संगीन हैं । नए कल-कारखानों को खोलने का कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा है । जो नई इंडस्ट्रियल पालिसी का ऐलान किया गया है उसमें तीन खतरे हैं । एक तो यह है कि अब कारखाने बनाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी । जो पूंजीपति हैं अब उनकी दौड़ रहेगी और सनत के मैदान में अनकानूनियत फैल जाएगी, ऐनार्की हो जाएगी । दूसरा खतरा यह है कि मल्टी नेशनल्स को घुस आने के लिए जिस तरह से आपने दरवाजा खोल दिया है उससे गैर मुल्की

अख्तियार बढ़ जाएंगे । आप कहते हैं ओपन डोर पालिसी । ओपन डोर और क्लोज आइज । वह चाहे कुछ भी करें उस पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी । सरकार बनने के बाद अब तक जितने इकदामात इस सरकार ने किए हैं उनसे एक ही बात साबित हो रही है कि यह सरकार अपने फैसले खुद नहीं करती, सारा इंतजाम आइ०एम०एफ० से हो रहा 24 घंटे है । में सरकार कितनी बार सांस ले, यह भी बता रहा है आइ०एम० एफ० जनरल बजट और रेलवे बजट और जो उद्योग धंधे हैं उनकी हालत हम देख रहे हैं । इन तमाम बातों को देखते हुए ऐसा मालूम हो रहा है कि लेबर मिनिस्ट्री का जो सनती सूरते हाल है यह धीरे-धीरे कब्रिस्तान और शमशान की तरफ जा रहा है । इसलिए जब लेबर मिनिस्टर का खुद ही ले आफ हो गया तो बाकी कौन बचेगा । सरकार अपनी पालिसी में अगर बुनियादी तबदीली लाए तभी कुछ भरोसा है । जो लोग लेबर मिनिस्ट्री में काम करते हैं वे कुसूरवार नहीं हैं क्योंकि वे लोग पालिसी नहीं बनाते हैं । जो लोग पालिसी तय करते हैं कसूरवार वे हैं । हमारे यहां अभी तक बेसिक लेंड रिफार्म्स लागू नहीं हुए जिससे किसानों को जमीन जो मिलनी चाहिए वह नहीं मिली । उसकी पौध की ताकत कम हो गई है । उसके पास कारखानों का माल खरीदने के लिए पैसा नहीं है इसलिए आज जो बड़े पैमाने पर बेकारी फैली हुई है उसकी ओर भी सरकार का ध्यान नहीं है । पश्चिमी बंगाल में बाएं बाजू की गवर्नमेंट ने लेंड रिफार्म्स किए हैं । उसका नतीजा सामने है और इसलिए जो हमारे हुकमरान जमात के लोग हैं उनको बाएं बाजू की सरकार से कुछ सीखना चाहिए और अगर उसका आधा भी वह हिन्दुस्तान में लेंड रिफार्म कर पाएं तो मुल्क की हालत खराब नहीं होती जितनी कि आज है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेबर मिनिस्ट्री पर कड़ी तनकीद रखना चाहता हूं और यह मतालबा करता हूं कि जो बातें मैंने रखी हैं, उनको सामने रखते हुए ट्रेड यूनियंस से सलाह मशविरा करके नए कानून बनाएं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो इस लेबर मिनिस्ट्री का अल्लाह खैर है ।

†شری محمد امین (پشچمی بنگال): مسٹر وائس چیئرمین سر، ابھی ہم لوگ بحث کر رہے ہیں منسٹری آف لیبر کی فنکشنگ کے بارے میں۔ اس سلسلے میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ بحث ہم لوگ ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب

†[ ] Transliteration in Arobic Script.

بگڑ رہی ہے اور آج تک بگڑتی چلی جا رہی ہے۔

ڈاکٹر رتنا کر پانڈے : آپ لوگ تو پندرہ مہینے میں دو دو سرکار بدل دیتے۔

شری محمد امین : سرکاریں بدل گئیں لیکن حالت نہیں بدلی۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی کارخانہ کھلا نہیں۔ ابھی آپ "ڈالا" سیمنٹ فیکٹری کے بارے میں بول رہے تھے۔ تو میں بہت غور سے آپ کی بات سن رہا تھا۔ یہ کتنا بڑا اندھیر ہے کہ ۷۰ کروڑ روپے سے زیادہ کی سمپتی ایک کروڑ روپے میں ڈالمیا کو دے دی گئی۔ اب یہ ملائم سنگھ یادو کے زمانے میں ہوا اس کی اندرونی کہانی مجھے معلوم نہیں ہے۔ "مداخلت"

ڈاکٹر رتنا کر پانڈے : ۵۰ کروڑ روپے کا لین دین ہوا ہے۔ وہاں جنتا چلا کر کہہ رہی ہے۔

شری ایش دت یادو : نو آدھار آروپ مت لگائیے پانڈے جی۔ آپ کی سرکار نے بھی کیا ہے۔

شری محمد امین : اب یہ معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت نے جو اسٹیچر بحث کیا ہے وہ اخباروں میں آیا تھا۔ اس میں عدالت نے کہا ہے کہ اتنی بڑی جائداد دے دی گئی لیکن جائداد کا کوئی ویلیویشن تک نہیں منسٹری آف لیبر میں کوئی لیبر منسٹر ہی نہیں۔ سرکار نے جن کو لیبر منسٹر بنایا تھا شری رام مورتی جی کو۔ انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور استعفیٰ دینے کی وجہ اخباروں میں آئی ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کاویری ندی کے پانی کا سوال تھا اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو انڈسٹریل پالیسی اسٹیٹمنٹ کیا گیا ہے اس کے بارے میں ان سے کوئی صلاح نہیں لی گئی تھی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لیبر منسٹری اور لیبر کے بارے میں یہ حکومت کتنی اہمیت اس سوال کو دینا چاہتی ہے تو اس لئے ابھی جو صاحب اس کے انچارج ہیں اب ان کی کیا حیثیت ہے وہ کب بنے۔ یہ بھی میں نہیں جانتا۔ لہٰذا منسٹری آف لیبر کی حالت دیکھتے ہوئے بے ساختہ یہ شعر زبان پر آتا ہے کہ

مریض عشق پر رحمت خدا کی
مرض بڑھتا ہی گیا جیوں جیوں دوا کی

اس وقت دیش کا نقشہ کیا ہے کہ لاکھوں کارخانے بند ہیں تقریباً دو لاکھ چالیس ہزار۔ جن میں چھوٹے بھی ہیں۔ بڑے بھی ہیں۔ ان کارخانوں کے کھلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے کانگریس گورنمنٹ تھی تبھی سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالت

ہم مزدوروں کو نکال دو تو فائنینشیل انسٹی ٹیوشن روپیہ دے گا۔ اب یونینوں کیلئے چاہے وہ کوئی بھی یونین ہو کسی دل کی ہو کسی جھنڈے کی ہو۔ ان کے لئے مصیبت ہوتی ہے کہ بورڈ جو کہتا ہے اس کو نہیں مانے تو کارخانہ نہیں کھلے گا مزدور بھوکے مریں گے اور بورڈ جو کہتا ہے اس کو مان لیں تو کام کا بوجھ اتنا بڑھ جائے گا کہ اس کے نیچے دب کر مزدور مر جائیں گے۔ اُن کی موت دونوں صورتوں میں ہے۔ بتائیے بند کارخانوں کا کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ لیبر منسٹر کے نیچے جتنی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ ایک ایک پر آپ نگاہ ڈالیں تو ہر طرف سے مایوسی ہوگی۔ ای۔ ایس۔ آئی میں بُرا حال ہے۔ مزدوروں کو دوا نہیں ملتی۔ دوا کی جو لسٹ ہے۔ ایک خفیہ سرکیولر کے ذریعے ای۔ ایس۔ آئی نے ڈاکٹروں کو ہدایت دی ہے کہ جو مہنگی دوائیں ہیں وہ مزدوروں کو نہ لکھی جائیں سب کاٹ دی گئیں۔ اربوں روپیہ ای۔ ایس۔ آئی میں مزدوروں کا جمع ہو گیا ہے۔ جو پیسہ مزدوروں کا ہے مگر اس پیسے سے مزدوروں کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ پیسہ سرکار کہاں استعمال کر رہی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ای۔ ایس۔ آئی ہوا۔ یہی اعتراض کی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں کی سرکار بدل گئی۔ نئی سرکار آئی ہے۔ بی۔ جے۔ پی۔ کی گورنمنٹ۔ نئی دُلہن۔ ڈالا سیمنٹ فیکٹری کے سوال پر اس دُلہن کا بھی گھونگھٹ اُٹھ جائے گا اور دیش کے لوگ دیکھیں گے کہ سرکاری جائداد کو نجی ملکیت کو دینے کے سوال پر بی جے پی کی کیا پالیسی ہوتی ہے۔ اس سوال پر یو۔ پی کی گورنمنٹ کا بھی امتحان ہوگا اور کینڈر سرکار کا بھی امتحان ہوگا۔ آپ نے جو بات کہی ہے۔ ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی باقاعدہ اعلان نہیں ہوا ہے کہ یہ جو ڈالمیا کو دینے کا معاہدہ ہوا ہے۔ اس کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ ایسا کوئی باقاعدہ بیان سرکار کی طرف سے نہیں ہے یہ ایک نمونہ ہے کہ ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے۔

کارخانے جو بند ہو رہے ہیں ان کے بارے میں اگر سرکار سے پوچھئے کہ ان کا کیا ہوگا تو وہ دکھا دیتی ہے کہ بی۔ آئی۔ ایف۔ آر کا نام ہونا چاہیئے۔ بورڈ فار انڈسٹریل فیولوں رائٹس۔ منتر پڑھ کر کریا کرم کر دو۔ اس کے سوا اور کوئی کام اس کا نہیں ہے میں کئی مقدمے ایسے جانتا ہوں جو انکے سامنے پیش ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ

کچھ ہوا نہیں ہے۔ یہاں نیشنل فرنٹ کی گورنمنٹ جب تھی تو اس سدن میں وہ ایک قانون لے آئی تھی۔ ورکرس پارٹیشین ان مینیجمنٹ اس بل میں کچھ کمزوریاں تھیں۔ جن کے بارے میں ٹریڈ یونینوں سے بات چیت بھی ہوئی۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ سرکار اگر چلتی تو وہ اس میں اصلاح کر کے اب تک کوئی قانون بن چکا ہوتا۔ مگر اس کے بعد وہ کولڈ اسٹوریج میں چلا گیا۔ اب دیش کی صنعتی ترقی میں مزدوروں کا کوئی سہیوگ نہ ہو تو دیش ترقی کر سکتا ہے۔ اس پر یقین کرنا محال ہے۔

اس طرح سے رامائنجم کمیٹی بنی تھی یہ نیشن ریشنس بھی نئے سرے سے بنانے کے لئے۔ اس میں تمام یونینیں اس سوال پر ایک رائے نہیں ہو سکی کہ ٹریڈ یونینوں کو رکگنائزڈ کرنے کے لئے سیکریٹ بیلٹ خفیہ رائے دہی کی جو مانگ ہے وہ مان لی جائے لیکن اس کا پھر کچھ ہوا نہیں ہے۔ وہ بھی معاملہ اس طرح سے پڑا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کے سنودھان میں اب تک کام کرنے کے حق کو بنیادی حق کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے سوال پر مزدوروں کے دل میں بے پناہ غم و غصہ بھرا ہوا ہے۔ ابھی حال میں ۱۶۰۰ سے زیادہ جن کو تنخواہ ملتی ہے وہ اس کے بینیفٹ سے محروم ہیں۔ وہ اس کی کوریج میں نہیں آتے ہیں۔ جب تک قانون بدل نہیں دیا جاتا۔ اس طرح سے لاکھوں لوگ ہیں جن کو ای۔ ایس۔ آئی کا لابھ نہیں مل رہا ہے۔ یہی حال ہاؤسنگ کا ہے۔ کوئی نیا گھر بن نہیں رہا ہے۔ جو پرانے گھر بنے ہوئے ہیں۔ ان کی حالت دن پر دن بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ نہ ان میں پانی ہے۔ نہ ان میں بجلی ہے۔ مزدوروں کی رہائشی حالت بگڑتی جا رہی ہے دن پر دن ابھی ایک نیشنل کاؤنسل فار سیفٹی ان مائنس ہے۔ یہ ایک خود مختار ادارہ تھا۔ اس کو اٹھا دیا گیا ہے۔ ۴۹ آدمی اس میں کام کرتے ہیں۔ میرے خیال سے ۵ سال سے وہ لوگ بیکار پڑے ہیں اور یہ اگرچہ آپ کے ڈائریکٹر جنرل آف مائنس اینڈ سیفٹی کے انڈر یہ ادارہ تھا۔

مگر ان کے لئے کوئی کچھ کر نہیں رہا ہے۔ اس میں حادثہ بھی ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیئے تھا کہ اگر یہ ادارہ آپ اٹھاتے ہیں تو ان کو آبزرو کر لیں۔ سرکار کے ڈیپارٹمنٹ میں لے لیں۔ مگر ایسا

ٹی۔ یو۔ سی۔ ہندوستان مزدور پنچایت۔ بی۔ ایم۔ ایس اور تمام کینڈریٹ یونینیں ایک رائے ہو جاتی ہیں اس کے باوجود سرکار اس کو کوئی اہمیت دینا نہیں چاہتی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تمام کینڈریٹ یونینیں جس سوال پر سہمت ہو جائیں اس کو تو فوراً تسلیم کر لینا چاہئے اور اس کو امپلیمنٹ عمل درآمد کرنے کے لئے قدم اٹھانا چاہئے۔ جتنی ٹرائی پارٹائٹ کمیٹیاں ہیں پی۔ اے۔ سی کمیٹی ہو۔ انڈسٹریل کمیٹی ہو۔ ایڈوائزری کمیٹی ہو۔ ویج پالیسی ہو۔ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ ڈیڈلاک ہو کر پڑا ہوا ہے۔ لیبر کانفرنس اس کی میٹنگ کب ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ پچھلی لیبر کانفرنس میں جو فیصلے ہوئے ہیں۔ ان پر عمل درآمد بالکل نہیں ہوا اور خاص کر کے جن باتوں سے مزدوروں کا کچھ بھلا ہو سکتا ہے۔ کچھ ان کو ادھیکار مل سکتے ہیں۔ ایسے فیصلوں پر عمل درآمد بالکل نہیں ہوتا ہے۔

ہمارے دیش میں بونس کا قانون بنا ہوا ہے۔ پیمنٹ آف بونس ایکٹ ہے اس کے بارے میں تمام یونینیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس پرانے قانون کو بدل دینا چاہئے کیا گیا ہے۔ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک دیش جو صحیح معنوں میں آزاد دیش کہلاتا ہے اور جس کے نیتا اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سماج تنتر کی طرف چلے جائیں۔ ایسے دیش کے منودھان میں ان لوگوں کے لئے جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ محنت کر کے اپنی روٹی کمانا چاہتے ہیں۔ ان کے لئے کام کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اس کے کیا معنی ہوتا ہے اور ابھی تک لیبر منسٹری کی طرف سے جس کو اس کے لئے سب سے زیادہ لڑنا چاہئے تھا۔ کوئی آواز بلند نہیں کی گئی۔ اس لئے میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں۔ جن کا مزدوروں کی زندگی سے گہرا سمپرک ہے۔ اس پر لیبر منسٹری غور کرے۔ ٹریڈ یونینوں کے ساتھ صلاح کرے۔ ان کی رائے لے کیوں کہ زندگی ایسے موڑ پر ہم لوگوں کو لا رہی ہے۔ کب ٹریڈ یونینوں کے اندر بھی جو اختلافات تھے۔ جو مت بھید تھے وہ دھیرے دھیرے کم ہو رہے ہیں۔ اس وقت ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ جو اہم سوالات ہیں۔ بڑے سوالات ہیں ان پر آئی۔ این ٹی۔ یو۔ سی۔ آئی۔ ٹی۔ یو۔ سی۔ اے۔ آئی۔

پھر جس طرح سے یہ اسٹڈی کی جاتی ہے وہ بھی غلط ہے۔ قیمتوں کا جو مختلف حصوں میں بازار بھاؤ کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی گڑبڑ ہے اور اس طرح سے کنزیومر پرائس انڈیکس کے سوال پر مزدوروں کے دل میں سرکار کے پرتی اعتماد اٹھ گیا ہے اور آپ جانتے ہیں۔ کہ اعتماد اُٹھ جانا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پھر محنت کش عوام کہاں جائے۔ وہ اگر غصہ میں سڑکوں پر اتر جائے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہوگی اور اعتراض کی بھی کوئی بات نہیں ہوگی۔

کنزیومر پرائس انڈیکس کے سوال پر لیبر منسٹر کو منسٹری کو چاہیئے کہ وہ تمام کینڈریٹے ٹریڈ یونینوں کو بلائے ان کی رائے لے۔ ان کے پاس ٹھوس آرگیومنٹس ہیں اور وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مزدوروں کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے۔ دھوکا ہو رہا ہے۔ یہ خیال جب تک ان کے دل سے نکلے گا نہیں تب تک یہ کام ٹھیک سے ہوگا نہیں۔

مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے لیکن مہنگائی جس حساب سے بڑھ رہی ہے مہنگائی بھتہ اس سے کم ملتا ہے۔ جیسے جیسے سمے جا رہا ہے۔ ویسے ویسے ریٹیل کیوں بدلنا چاہیئے۔ ایک تو یہ ہے کہ ۲۰ پرسینٹ سے ..... زیادہ بونس مل نہیں سکتا چاہے مالک کتنا نفع کما لے سیلنگ لگی ہوئی ہے دوسرا یہ ہے کہ مزدوروں کو مچاریوں اور ملازمین کے ایک حصے کو جن کی تنخواہ ایک حد سے اوپر ہے۔ غالباً ۱۶۰۰ روپے ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے۔ ان کو بونس نہیں ملے گا۔ یہ بے انصافی کی بات ہے۔ پرائیویٹ مالک۔ اگر منافع ان کو ہوتا ہے تو یہ انہی لوگوں کی محنت سے ہوتا ہے۔ پھر اس کا حصہ ان کو کیوں نہیں ملے گا۔ اس لئے بونس ایکٹ میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال بہت بڑا ہے۔ یہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس کا نیا سیریز جس میں بنیادی سال ۱۹۸۲ء کو بنایا گیا ہے۔ اس سوال پر بھی تمام اور تمام مزدوروں کے دل میں شوبھ ہے۔ غصہ ہے۔ کیوں۔ غصہ اس لئے کیوں کہ پرانی جو سیریز تھی جس میں ۱۹۶۰ کو بنیادی ورس مانا گیا تھا۔ اس کو بدل کر ۲۲ سال کے بعد ۱۹۸۲ کو بنیادی ورس بنا دیا گیا۔ جس کی وجہ سے مزدوروں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ سرکار آج تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکی کہ ۱۹۶۰ کو بدل کر ۱۹۸۲ کو بنیادی ورش بنا دینے کی کیا وجہ ہے اور

میں جہاں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آج وہ کم ہوگئی ہے۔ وہ میں جوٹ انڈسٹری کی بات جانتا ہوں۔ سنہ ۱۹۴۷ میں جوٹ مل میں کام کرنے والی عورتوں کی تعداد ۳۰۰۰۰ تھی۔ کسی زمانے میں میری ماں نے بھی کام کیا۔ آج وہ تعداد گھٹ کر ۳۰۰۰ ہوگئی ہے یعنی ۲۷ فیصد۔ اس لئے میٹرنٹی ایکٹ میں سنشودھن کیجئے۔ اب جو ہو چکا اس کو واپس لانا تو دور کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو عورتیں رہ گئی ہیں۔ ان کو بچانے کا انتظام کیا جائے نہیں تو کچھ دنوں کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ ان کل کارخانوں میں کوئی عورت مزدور نہیں رہے گی۔

اس کے علاوہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ابھی جو آپ کے کل کارخانے ہیں۔ ان کے مسئلے اپنی جگہ سنگین ہیں۔ نئے کل کارخانے کھولنے کا کوئی انتظام نظر نہیں ہو رہا ہے۔ جو نئی انڈسٹریل پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے اس میں تین خطرے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اب کارخانے بنانے کے لئے لائسنس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو پونجی پتی ہیں اب ان کی دوڑ رہے گی اور صنعت کے میدان میں اَن قانونیت پھیل جائے گی۔ انارکی ہو

ویج ہے۔ اصل اجرت۔ وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کما کر دوسرے آدمی کی پرورش نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اس کے لئے محال ہو رہا ہے۔ اس لئے اس معاملے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔

شریمتی کملا سنہا جی نے عورت مزدوروں کا ذکر کیا اور بتایا کہ کس طرح ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ بے انصافی ہوتی ہے۔ اب ہمارے دیش میں بہت دن پہلے میٹرنٹی بینیفٹ ایکٹ پاس کیا گیا لیکن اس ایکٹ کے پاس کرنے کے ساتھ ہم نے یہ شرط نہیں لگائی کہ جس کارخانے میں جس ادھیوگ دھندے میں۔ جس کاروبار میں عورت مزدوروں کی تعداد جتنی ہے۔ وہ تعداد برقرار رکھنی ہوگی۔ اس کو گھٹانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کمی کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو کل کارخانے کے مالک ہیں انہوں نے اپنا راستہ نکال لیا ہے کہ عورت مزدوروں کی تعداد گھٹا لو کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ مرد مزدوروں کو میٹرنٹی بینیفٹ ایکٹ کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اس لئے اگر آج سروے کر کے دیکھا جائے کہ جوٹ انڈسٹری چائے باغان اور دوسرے ادھیوگ دھندے

بیسک لینڈ ریفارمس لاگو نہیں ہوتے جس سے کسانوں کو زمین جو ملنی چاہیئے وہ نہیں ملی۔ اس لئے پودھ کی طاقت کم ہو گئی ہے۔ اس کے پاس کارخانوں کا مال خریدنے کے لئے پیسہ نہیں ہے۔ اس لئے آج جو بڑے پیمانے پر بیکاری پھیلی ہوئی ہے اس کی اور بھی سرکار کا دھیان نہیں ہے۔ پشچمی بنگال میں بائیں بازو کی گورنمنٹ نے لینڈ ریفارمس کئے ہیں۔ اس کا نتیجہ سامنے ہے اور اس لئے جو ہمارے حکمران جماعت کے لوگ ہیں۔ ان کو بائیں بازو کی سرکار سے کچھ سیکھنا چاہیئے اور اگر اس کا آدھا بھی وہ ہندوستان میں لینڈ ریفارمس کر پائیں تو ملک کی حالت خراب نہیں ہوتی جتنی آج ہے۔

انہی شبدوں کے ساتھ میں لیبر منسٹر پر کڑی تنقید رکھنا چاہتا ہوں اور یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے رکھی ہیں۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ٹریڈ یونین سے صلاح مشورہ کر کے نئے قانون بنائیں۔ ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تبھی کچھ ہو سکتا ہے نہیں تو اس لیبر منسٹری کا اللہ ہی خیر ہے۔

جائے گی۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ ملٹی نیشنل لوگ گھر آنے کے لئے جس طرح سے آپ نے دروازہ کھول دیا ہے اس سے غیر ملکی اختیارات بڑھ جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں اوپن ڈور پالیسی۔ اوپن ڈور کلوز آئز۔ وہ چاہے کچھ بھی کریں۔ اس پر کوئی پابندی نہیں لگے گی۔ سرکار بننے کے بعد اب تک جتنے اقدامات اس سرکار نے کئے ہیں ان سے ایک ہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ سرکار اپنے فیصلے خود نہیں کرتی۔ سارا انتظام آئی ایم ایف سے ہو رہا ہے۔ ۲۴ گھنٹے میں سرکار کتنی بار سانس لے۔ یہ بھی بتا رہا ہے۔ آئی۔ ایم۔ ایف۔ جنرل بجٹ اور ریلوے بجٹ اور ادھیوگ دھندے ہیں۔ ان کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ لیبر منسٹر کا جو صنعتی صورت حال ہے یہ دھیرے دھیرے قبرستان اور شمشان کی طرف جا رہا ہے۔ اس لئے جب لیبر منسٹر کا خود ہی لے آف ہو گیا تو باقی کون بچے گا۔ سرکار اپنی پالیسی میں اگر بنیادی تبدیلی لائے تبھی کچھ بھروسا ہے۔ جو لوگ لیبر منسٹری میں کام کرتے ہیں۔ وہ قصوروار نہیں ہیں۔ کیوں کہ وہ لوگ پالیسی نہیں بناتے ہیں۔ جو لوگ پالیسی طے کرتے ہیں وہ قصوروار ہیں۔ ہمارے یہاں ابھی تک

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Vice-Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Labour Ministry. The hon. Minister for Labour has got vast experience as a trade union leader. The main task of the Labour Ministry is to safeguard the interests of the labour community, bring in social legislations and formulate a policy on labour. Then, they have to provide facilities for the purpose of training of the labour force and so on and so forth. Now the Labour Ministry and the departments attached to it are only concentrating on the urban side. Their activities ore not going to the rural areas. Actually the agricultural labourers who are living in the rural areas are also entitled for protection. And the agricultural labourers are more than 78 per cent of the total working force. The remaining are in the urban side in small-scale and large-scale industries and in other organisations. The Minimum Wages Act came into force and wages have been fixed for agricultural labour also. But the implementing authorities have not taken care to see that agricultural labourers get the fair and minimum wages. The reason is that neither the trade-unions nor the leaders of trade-unions approach labourers who are mainly in the agricultural sector. They concentrate on industries and other organisations which are connected with labour. The main labour force that is contributing for the welfare of this country are the agricultural labour and those people are ignored and they are not getting even their subsistence wages. Neither the Ministry nor the State Governments concerned nor the trade-union leaders are taking care of them. I would like to say that in some areas, the CITU is concentrating on the agricultural labour. They are trying to awaken the agricultural labourers about their rights. Slowly it is growing up. It is a good sign. By that, the agricultural labour force will definitely get a fair deal from the landlords who are actually exploiting these labourers.

Coming to the industrial labour force, actually only in the 10 to 15 per cent of the organised labour force, trade union activities are going on and the workers' involvement in getting their rights is being protected because of their various agitational programmes. But, in small industries and industries that are being administered by the Government—that is, public sector undertakings either under the State Governments or under the Central Government—trade-union activities are not allowed to grow. I know a particular case wherein the authorities have issued an order banning trade-union activities in an industry.

[The Vice-Chairman (Dr. Nagen Saikia) in the Chair]

This industry is employing more than 7000 labourers. In spite of the fact that the workers voted unanimously that labour laws should be implemented in their industry, the ban was imposed by the State Government saying that for five years, there need not be any trade-union activity in that industry. I would like to say that it is a case of my State, a textile unit of Pondicherry. It was taken over by the Government. The labourers have unanimously decided that they should be given the right to trade-union activities. In spite of it, it has not been done.

Then, Sir let us go to the field of actually giving benefits to labourers. I shall cite two or three instances about the functioning of the Provident Fund Commissioner's Office and the ESI. The Regional Office of the Provident Fund Commissioner in the southern sector is in Madras. If any labourer wants to get any loan, he has to send his application to the Regional Office for clearance of the loan amount. For any reference the labourers would like to make, they have to approach the Madras Office only. Sir, even in the application form that is filled in by the labourer and sent to the regional office, if there is a small error, the application it returned to him saying that he has filled in the application form properly and therefor his claim will not be considered. If a labour has to draw some money out of his fund accumulated in his account, he has to undergo a lot of hardship. In normal cases he does not get it before one year and in majority of the cases, the applications are not cleared for a long time. I would like to refer to a scheme of housing complex for the labourers. According to this scheme,

[Shri V. Narayanasamy]

the labourers should purchase the land and apply for loan for the construction of a house because the industry is not in a position to provide the housing facility. When the labourers apply to the Provident Fund Commissioner for sanctioning of the loan, it has come to light that for 1½ years the applications remained lying in the regional office and nothing was done. Whatever information was asked for from the labourers, they supplied the same but their cases are not being considered. I had written a letter to the hon. Minister of Labour about nine months back informing him about the problem faced by the labourers and in spite of the fact that the Regional Provident Fund Commissioner was contacted by me, nothing was done. This is the sorry state of affairs prevailing in the office of the Southern Regional Provident Fund Commissioner. They do not care for the labourers. They do not feel that they are working for the labourers. They behave like bureaucrats. They are not helping and guiding the labourers properly. The functioning of the Provident Fund Commissioner' offices in the various regions of the country should be reviewed throughly and necessary directions should be issued to them to take care of the labourers Sir, I would like to give one example. The Minister might have received a lot of complaints about the functioning of the Provident Fund Commissioners in the country. There are demands pending from various States to decentralise the Provident Fund Commissioners' offices in order to have more branches in the various regions. But what is hapening? The regional offices are trying to centralise more powers with them. In my State Pondicherry, we wanted a separate branch of the Provident Fund Commissioner's office because if the worker has to come to Madras even to sign an application or to submit some particulars; he has to cover a distance of 150 kms. People who are coming from Kanyakumari have to travel for two days to come to Madras just to fill in the forms. Therefore, we wanted to dencentralise the Provident Fund Commissioner's office to have more branches so that the workers may not have to suffer unnecesarily.

Then I come to the functioning of the ESI. The medical claims are sent by the labourers but they are rejected on very flimsy grounds. We have seen it in a number of cases. Since we are in the trade union field, they approach us and narrate their problems to us. Even in genuine cases, the official have been quoting the rules but they have not been giving the benfits to the labourers. I would request the hon. Minister to see that, the ESI benefits to reach the workers. (*Time Bell rings*) Sir, I will take another five minutes because I have to concentrate more on the child labour. (*Interruption*).

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): You take two minutes.

SHRI V. NARAYANASAMY: I will take five minutes because I have to explain so many things. Now, I straightway come to the child labour because the child labour is being exploited in this country in various fields, specially in the agricultural sector; the boys and the girls belonging to the backward community, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, are being exploited and they are not getting any benfit. They are not paid the required wages and they have been suffering. Their lot is pitiable in the brickkiln and quarry industry. In the quarry and brick-kiln industry the children and their families are kept as bonded labour. We come across several cases in which the children are being exploited and are not being given medical benefits. They are not even given the benefits which they are entitled to get under the Act. Now the Child Welfare Regulation Act has come into force. That Act has not been implemented virogrously. In the carpet industry more than fifty lakh people are employed. Most of them come from Bihar. The children from Bihar are being taken to Mirzapur, Varanasi and other places of U.P. and they are virtually kept as bonded labour. Some of them have been taken to Jammu also for the purpose of employment because of cheap labour and they are given very meagre wages. Take the very bad case of match industry and explosives industry which are their in Tamil Nadu and

other parts of the country. The Supreme Court has given the verdict that children should not be allowed to be employed in the dangerous establishments and especially in the fire-works and match-making industry. They are allowed to work in the packing area only. Sir, if you go to Sivakasi--I have the photograph of that place--you will find that the condition of the factories in which the children are working is very pathetic. No facilities are given to them. It is only sheds, that too thatched sheds, in which they are being employed. They have not been given any benefits and they are employed in the main job of manufacturing crackers and other explosives and in the match-making units. It is a violation of the Supreme Court Judgement. In spite of this, the Labour, Ministry closes its eyes; the Labour Department officials close their eyes. In spite of the regulation, child labour is there. It is there in the record. The children are being exploited and the Ministry has not taken any steps to ameliorate the problems faced by the children in this country. There is a provision for giving educated and medical facilties to the children and the Labour Departments of the various State Governments have to implement it and it is the Labour Ministry which has to regulate it. That also is not being done ....(*Time bell-rings*)....Sir, with the worker's participation in the management I will conclude...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please complete within one minute. I have already given you much time. As a Members of the ruling party you have to see that within the stipulated time the business is over.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I am coming to worker's participation. In 1983, a scheme was introduced by the Government that workers shoud be involved in all the three phases, shop level, floor level and also in the management level. I had a meeting with the Chairmen of various organisations of the public sector, Central Government organisations. When I spoke to them, they were laughing. They were asking me how workers could be kept on the Board of Management. In fact, in 1983 the scheme was circulated by the Labour Ministry to all the public sector undertakings and they had been asked to implement it, but public sector undertakings which themselves are Government organisations have failed in doing so. They have not cared for it and they are just mocking at the schme itself. Sir, what is the reasons? Now the bureaucracy come in there. The workers are the best managers of the industry, but the industry people don't have the heart and mind to put the workers on the Board of Management so that the workers who are working in the field should know the problems actually faced by the industry. There the concentration should be given as to how the industry is to be made viable, how we can gain profits. Last time when the V.P. Singh Government was there, a Bill was brought in this respect. It is a very good scheme. That scheme should be implemented bucause now the workers are being exploited even at the shop level and floor level. They are being ignored totally. If they are put on the management, at least they can raise their voice and explain the problems faced by them to the Board fully. So worker's participation in management is vital. Since the time is too short, though I have a lot of material to speak on, I conclude with this.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR (Bihar): Mr. Vice-Chairman, It is my maiden contribution in this session of the House and I must thank you for giving me this opportunity. The Congress Pary to which the people of India have turned with hope had made certain promises. Restructuring of the economy and modernistion of technology is one of the major promises that we have made. But the important thing to remember is that in this process of restructuring and modernisation we have to emphasise that it will be done with the human face. And workers' component of this programme is the crucial part of the human face. There is need to reformulate in this context the ambit of activity of the Ministry of Labour. It has been doing

[Prof. Chandresh P. Thakur]

certain things, good things, but it requires to do better things and more things. So my first submission would be that the Government should consider and consider seriously to expand the span of activity of the Ministry of Labour. Correspondingly to that there is need for a thorough re-examination of the administrative structure right from the top to the field level. The way the Miinstry is organised today, it is relevant for certain things but I am not sure that it is relevant and sufficient or consistent with the new emerging reality on the Indian economic and social scene. Employed, unemployed and theatening to be employed workers fall within its purview so far as genuine wages are concerned. Protection and welfare of workers has been its primary task. Training has also been its dominant agenda. Promoting industrial peace through various agencies and institutions has been one of its major concerns. Matchmaking between jobseekers on the one hand, and the employers on the other, has been carried out through the Ministry of Labour's network of employment exchanges throughout the country. But the Indian economy today is changing and within the new economic policy the pace of change and the character of change are going to be radically different and faster. The workers have a lot of anxiety but at the same time a lot of them have considerable hope around the processes of modernising and making the economy more efficient. The trade unions are up against the new reality. They have been making their contribution in promoting the workers' interests in their own way but in the new context of restructuring and modernisation there is need for a review of their role and their contribution. I hope the Ministry of Labour through its good offices will help them to clarify the dimensions of the new realities and the areas of anxiety, if they have any, should be dispelled with despatch and the areas of opportunities where they can contribute their services should be mobilised with sufficient inputs to see that they are able to apply their mind and contribution with necessary up-dated information in any aspect of the policy programme that we have.

Now, in this context I will make seven concrete suggestions for the consideration of the Ministry of Labour. (1) The Minisry should get deeply involved in the employment and self-employment promotion programmes of the Government through the Planning Commission and through the other economic Ministries. Ministries work as water-tight boundaries. I think under the new reality there is need to work across the boundaries and the Ministry of Labour must reach out wherever it has to reach in promoting employment and self-employment. (2) The safety net in the form of National Renewal Scheme is an imaginative programme in the new economic policy and the Ministry of Labour must take a dominant pro-active and concrete part to get involved in the formulation of this programme and its effective implementation because it has all the resources, the wisdom and the contacts to make a sound contribution. In the absence of sufficient contribution from the Ministry of Labour there is a great risk that this imaginative programme may not deliver the kind of safety net which it promises to make and which we desperately need. The third point is that the Employment Exchanges which have served their purpose historically in a good way by disseminating information on vacancies and available hands and making match between the two sides of the labour market have lived beyond their current relevance. In the organised sector where the purview of the Employment Exchange is limited, employment opportunties for the net addition to the organised labour force are very limited. Under these conditions, my submission to the Ministry would be that the Employment Exchange should be renamed as "Self-Employment Promotion Agency" and its officers must be trained and equipped to implement this programme vigorously down the line wherever they are effective; otherwise there is a great risk of redundancy of the network of people working within this framework.

The next point is that the Ministry of Labour has been on the vanguard of training programmes—the craftsmen training programme, the apprenticeship training programme, the Advanced Training Institute, the Foremen Training Institute and the whole network of institutes. Now, these agencies need to reflect deeply on the content and coverage within their periphery so that their contributions are consistent with the new emerging profile of the economy and technology in this country. For that not only the training content should be updated but even the quality of teachers must be re-examined and wherever necessary re-training or additional acquisition of relevant staff should be considered. At the same time all these institutions need to update their equipment and facilities to match with the best of the world. I know the capital resources are limited but the support of the industry could be mobilised through the persuasive process and, I am sure, the industry will come out heartily in support of this modernisation of equipment and facilities in the training institutions.

Next, Mr. Vice-Chairman, the workers' education programme in India is the largest one in terms of network. But I am not sure whether its current profile of activity is delivering the goods sufficiently to the beneficiaries. So, I would like the Ministry to consider and review the workmen's education programme agenda, the content, the quality of instructions and the grant on programmes it launches to reflect its capability to match with the new requirements of the Indian labour scene—whether in the field of industrial relations or welfare or workers' self-management or workers' participation in the management.

Mr. Vice-Chairman, considerable international funds from the multilateral agencies like ILO and bilateral sources flow into India. But there is a paramount need for its more effective utilisation. I am not casting any aspersion; I am not raising any doubt. All I am suggesting is that there is a lot of money, well-meaning money, but its use should be more imaginative and more effective and I am sure, the Ministry has all the wise people to look at it in a systematic way and will come out with a new agenda for its effective utilisation.

Lastly, Mr. Vice-Chairman, the Minister of Labour has an officer called "Protector General of Emigrants". It is an utter nonsense. We need to export manpower. This designation must be changed without any loss of time as "Promoter General of Emigration" and consistent with the programme of an active agenda to export manpower, there should be a network of back-up in terms of training people for relevant skills which are in demand in such countries where Indian workers are welcome and are ready to go. I am sure, the Ministry has some of these programmes on its agenda, but it needs to be accelerated and made richer and they should be implemented on a time-bound basis.

The young Minister, who is a person with a labour background, has all the energy and enthusiasm to do it and fortunately the Secretary of the Ministry is one of the most competent offices the Government of India has and, I am sure, between the two and their other colleagues they will look into these suggestions and come out with some sort of a concrete agenda and we will welcome that. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Thank you for completing your speech within the time.

*SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the working of the Ministry of Labour. The hon'ble Congress Member Shri Ratnakar Pandey, who spoke some time back, said that he was playing the role of the opposition since the opposition has failed to criticise the policies of the Government. Therefore, being a member of opposition, I wish to make certain points at the outset. The fiscal policy, Industrial Policy and Export-Import Policy are the most talked about these days all over the country. These policies have virtually pushed the Budget to the background. In

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

[Shri J. S. Raju]

order to set right the balance of payments, save foreign exchange, pay the interest for the international loans and to borrow more money from I.M.F., the Government have already cancelled the concessions, subsidies and grants, hitherto given to the needy people.

In the name of a new Industrial Policy, the Government has thrown open the doors to the tune of 51 per cent to the multinationals and 100 per cent to the benamies under the cover of N.R.Is. You have brought in the new Industrial Policy after saying that this is the only way out to boost industrial growth in a situation where there is an acute shortage of resource. You have now invited the foreign capitalists to open industries in India. In the name of promoting export, you have showered concessions to private sectors and big industries. You also claim that these three policies have been announced with a view to make this country glorious. But in reality, it is a fraud Committed by the Government on the people. These policies will only exploit the people further. I am duty bound to say that the Government have deceived the people. With a sense of paralysing calamity I say, that these policies will only swindle the common man with the authenticity of the Government. It is, indeed, painful to note that the minimum wage structure, minimum amenities, basic requirements, healthy working conditions and representation of workers in the administration are not to be found even in Government establishments. I wonder how the Government is going to implement these policies in the private sector.

Not only this, we have mortgaged gold. I accuse the government of having mortgaged Indian Workers to foreign countries. Because of the devalution of rupee, our workers will be receiving meagre wages from their foreign employer in future. By devaluing rupee you have told the whole world that labour would be available at a cheap rate in India. It is an insult to the working community, the labour force in India.

The new industrial policy has raised doubts whether the Government is going to close down the public sector units. The Prime Minister has said that Government shall have the right to open new industries in any area and to introduce new technologies where required. Now itself you have invited even multinationals to establish industries in this country stating that the government is short of funds. Then I would like to ask how the Government is going to open new industries. If this is true, I would like to know as to how many industries the Government have proposed to establish? What are the new industries and what are the new technologies it is going to bring in? I want specific answer for this. As it is, the Government, through its policies, have allowed the industrial sector to slip into the hands of private capitalists. Because of this many more industries are likely to become sick industries.

Sir, for years we have been talking about the representation of workers in management. In Madras, B.N.C. Mill has been closed down. The Mill owners have closed it down showing false reasons. But the actual reason is that the management wants to dispose off the site of about 300 acres at a very high price as residential plots and shift the factory to some remote village. This is the actual reason. Had there been representation of workers in the management, we would have known, whether there was profit or loss. So, I urge upon the government to take steps immediately to open the mill.

The Prime Minister has stated that neither industries would be closed nor workers thrown out of job because of the new industrial Policy. This is sweet to here. But when you analyse it, the realities to the Contrary Surface. The government say that they have no funds to revive the sick industries. Then how are they going to help the workers. The only way is to take over such industries and hand over to the workers.

Mr. Vice-Chairman, Sir, the horror of Bhopal gas tragedy still lingers in our mind. We don't know whether that was an accident or a chemical experiment. Whatever it is, we should bear in mind that the gas industry is owned by multinational.

This tragedy has taught us a lesson. Therefore, I demand that the compensation in case of such accidents should be on international level. (*Time bells rings.*)

Sir, please allow me some more time. I am speaking on the subject only.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): You may take one more minute.

SHRI J. S. RAJU: I don't know if the government has any rule or guide line regarding compensation. The government should learn to respect labour.

In Uttar Pradesh there was some dispute in certain factory. Then the government intervened in order to hand over the factory to the workers. But the government chose to speak only to a particular labour union. When questioned, the Prime Minister has said that the government can speak to that Union only. This is the policy of the government. If this is so I would like to ask whether he proposes to hand over the factory to some sycophants.

Sir, when asked whether the new Industrial Policy is an experiment, the Prime Minister, like vendantist, has said that life itself is an experiment. If it be so, I wish to ask whether the invitation to multinational's to open industries in India is also an experiment. People are the precious asset of a nation; Their labour and knowledge should be utilized for the welfare of the nation. 40 per cent of our population constitute our labour force. Only 10 per cent of them are organised. The rest of them numbering 30 crores spread all over, remain unorganised.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please conclude.

SHRI J. S. RAJU: In Uttar Pradesh there is a village known as Thoda. In that village, when a worker did not turn up for work, he was burnt and his body was thrown into a pond. Another worker, who could not feed his children, killed them and committed suicide.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): You need not to read out. You have referred to. That is enough.

SHRI J. S. RAJU: I am not going to read anything. I will make just one point.

We learn that there is a move to privatise banks. If it is true, it is a dangerous step and this very idea should be abandoned. The closed industries like B.N.C. Mill should be opened. In addition to provident fund and gratuity, workers should be given pension. Since the new Industrial Policy is not favourable to the workers, I call upon the government to brood over the whole matter and review the policy in order that the welfare of our workers is protected.

5.00 P.M.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to discuss about the Ministry of Labour.

Sir, as far as I understand, the objective of this Ministry is basically the welfare of the workers which includes what kind of policies we can have in the country so that we can have more employment generation through development work and through industries, etc.,—which is in an advisory capacity—and to raise the standard of living of the workers, to get productivity not only from the employees but also from the non-labourers and non working union leaders, and to organise education and training programmes, etc. Within this framework, I take up each of the points one by one.

Sir, when I take up the first point about finding ways for more employment generation, I would like to know what kind of efforts our Ministry has made about this employment generation because with the modern industrial development, more and more industries are coming up where less and less labourers are required. About labour intensive industries which are agro-based. what is this Labour Ministry doing to influence the Finance Ministry, to influence the Commerce Ministry to find out industries which can get more incentives so that these can be set up not only in the urban areas but also in the rural areas ? To the best of my information, I don't think the Labour Ministry is even con-

[Shri Santosh Bagrodia]

sidering these points because when an entrepreneur puts up an industry with high capital, he can get a lot of benefits—low interest rate, depreciation, investment allowance, etc.—when he puts up an industry which is agro-based, then he gets all the headache of more labourers. So, what is the Labour Ministry doing about the setting up of more labour-intensive industries?

Then, Sir, when we talk about raising the standard of living, I would say that it is very easy to have a strike. It is very easy to create problems in the industry, it is very easy to destroy the property which belongs to the nation and then try to claim some more benefits. But this is not the way to raise the standard of living. I request the hon. Minister to find the ways and means by which the basic productivity can increase. Recently, I was discussing this with some friends in the Government. In fact, somebody has made a study on this. If you go to the tea gardens anywhere in the country, the workers work for two hours a day. What do we do so that their productivity increases? With the kind of change that is taking place in the world, unless we increase the productivity in the industry, either in the public sector or the private sector, I am sure, our country will be doomed. The only solution to this problem is increase in the productivity. And that will raise the standard of living of the workers. I would like to request the hon. Minister to look into this aspect also.

Then coming to protection from employers, I wonder if our Labour Ministry would like to bring a law by which no nonworking individual can become a labour leader. When I talk of participation of labour in the management, I fully agree that one of the labourers who is working on the floor should be on the Board. Let him see what the problems are of the management. Let him try to be a part of the management, a part of the unit. But he should not be an outsider. And this is possible only if we make a law that only a labour can become a labour leader or a union leader in a particular industry or unit. Sir, on this point, I would also like to request the hon. Labour Minister to find out ways by which the rivlary between different unions in a particular unit is stopped. Most of the time it is noticed that just because there are two different kinds of unions—one is representing 90 per cent and another 10 per cent or 5 per cent or 6 per cent—it is 5 or 6 per cent leaders or unions which represent only a small minority that create the maximum problem and that affects 90 per cent labourers also. What has the Minister to say on this aspect?

Sir, on the question of education and training programme, as my colleague was mentioning just now, if we want to compete with the world, world industry, the labourers must be given proper training First, they must understand the basic difference between producing a quality product and just producing something for the sake of producing. Of course, I do not say that tht entreprenеurs are not responsible. But it is finally the labourer who is affected the most. Sir, for this reason, we must have the maximum training institutes for training labourers, so that they know that if you make a cloth that cloth should be the best in the world. And that is possible only if the workers want it. I would like to know what is the special programme—I am not talking about the run-of-the-mill programmes which this Ministry might be having for the last so many years—I would like to know what special programmes our Minister will like to introduce so that the labourers can be trained properly.

Sir, when we talk about the welfare, in the year 1990, I asked a question on the 24th August, 1990, and I mentioned that under the International Labour Organization Report there is a wide variation about the manual labourers, what kind of weight they are carrying.

I would just like to quote from the reply which the Minister gave at that time.

"Some countries, such as Austria, Canada, Ireland and Sri Lanka, had

general provisions concerning health protection. For instance, in India dock workers have a limit of 100 kilograms while in non-organized sectors it can reach 115-135 kilograms..."

Sir, this is inhuman.

"...Greek meat workers can carry 100 kilograms, Colombia (which is a much smaller country than others) construction workers 50 kilograms, Finnish packers 40 kilograms and Republic of Korea rice workers 40 kilograms.

Whereas our works carry 100 kilograms.

"...In 1967 the ILO recommended a maximum of 55 kilograms to be manually transported by an adult male worker. But this ceiling has yet to become a universal norm (in our country).

"...Existing rules allow men to carry loads ranging from 45 kilograms in the German Democratic Republic to 56 kilograms in Mexico, 80 kilograms in China and 90 kilograms in Bangladesh and Pakistan."

"...More countries have adopted limitations for women workers than for men and the weight ceiling is substantially lower. In Japan it is 30 kilograms for intermittent work and 20 kilograms for continuous work. In the Federal Republic of Germany occasionally load carrying by women cannot exceed 15 kilograms and frequent lifting 10 kilograms..."

Even Thailand has got a lower limit of 30 kilograms.

I would like to know from the hon. Minister what action is he taking so that this inhuman weight carrying by Indian workers can be reduced?

I would also like to mention a few points on provident fund, Sir, (*Time Bell rings*) I won't take a very long time. Sir, Just give me a few minutes more. t is very important, you will appreciate. I will try to conclude in two or three minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Just one minute.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Now, for instance, take jute workers. Recently, a law has been made by influencing the Textile Ministry by the Commerce Ministry that orders by the Government will be given only to those units who can export. The total export is not going to increase. Just because of some vested interests it has come. In the process a number of up-country jute mills which are in the rural areas are getting closed or are going to be closed. I would like to know what is the Labour Ministry thinking about it? Or are they not aware of this kind of situation which is happening in the jute industry?

Then, about provident fund for construction workers, I would like to inform our Labour Ministry that provident fund for construction workers is only a useless law. It is not being implemented. Only the Inspectors and Provident Fund officers make money in the process because they are all casual workers. These poor workers get their salaries deducted by 8 per cent. I don't know whether the Provident Fund is given to the employees, but that 8 per cent which is deducted never goes to the workers. Please make a card. I am suggesting. I am not saying. "Don't have this rule". Please make a card and give it to each worker. Wherever he goes, from one employment to another the same card can be filled up. And make a law by which the worker can get his Provident Fund easily. For jute workers we have Rs. 86 crores due on account of Provident Fund alone. I don't think the Labour Ministry is making any serious effort in this direction. I would like to request our hon. Labour Minister to understand one more Problem. If you want the export which is a must for our country and if you have courage then why not introduce the concept of 'no labour laws for the export industries? Make a trial and see what kind of efficiency we can have. Just see whether we can export or not. The export will increase by 15 per cent if we have no labour laws in the country. Otherwise the buyers are not willing to trust that they are going to get material in time from India. Let us also follow some system by which the differnece between the management and labour is done away with. The

[Shri Santosh Bagrodia]

Manager thinks that he has become God of the labourers. Some law or some convention should be made as we have in Maruti Udyog. I am giving a particular reference. There even the Managing Director punches his card. Why not every officer from the Managing Director downwards punch his card. They should be treated at par.

Sir, strike is the right of the workers. I have no dispute on this. The workers cannot go slow and hurt the production. Strike clearly means that it will hurt them and also the employees. So, go-slow should be taken as part of the strike. The workers should understand that go-slow itself is a strike and all those laws applicable to strike should be applicable to this also.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): Just now, I have heard a speech from the Congress Party Member. Really where are we going in this country? He says, there should be no labour laws for export. This is the stand which he is taking. I don't know where this country is going. Sir, this Labour Ministry is always like an orphan in the Government of India with regard to budget as well as its programme implementation. All the wealth of the country is produced by the labouring masses. What are we donig towards them? We have to think what is the impact of the Labour Ministry on the working of the vast masses of labourers in this country. Now, 90 per cent of our labour force is in the unorganised sector. They are not organised. Why they are not orgainsed? Let us go into that particular detail also. In this country agricultural labour is the biggest sector. There are about 100 million agricultural labourers and if you include small and marginal farmers who sell their labour power for most of the time it will be 200 million which is a big chunk of our population. Even these agricultural labourers get work only for a short period. The male workers get work for only 193 days. And for female workers, it is 135 days. This is the position. That is why there has been an agitation for a very long time in this ocuntry that there should be a Central legislation on minimum wages for the agricultural labour. But this demand has not been considered or acceded to by the Central Government till today. For example, take the case of Andhra Pradesh. Andhra Government has fixed a minimum wage for the agricultural labour between Rs. 8.50 and 11.50. Can we imagine an agricultural labourer's family living within this amount? And that too, they do not have work for longer periods. Whenever the labourers tried to unite and there was a demand for fair wage, there is onslaught by the landlords against the workers. And all this is because of the nexus between the police and the landlords which is the bane of our society today. Nexus of police and the landlords is committing all the atrocities in our country. There are women labourers to the extent of 50 per cent. What is the justice they get? Everyday we have discussions here on atrocities on women, about molestation of women. We are discussing everyday that atrocities are being comimtted on them. Can they commit these atrocities without a nexus between them and the police? And this is a bane from the Government, from this Congress party. This has to be understood very clearly. That is why, there have been no implementation of land reforms; there has been no Central legislation for minimum wages. That is why I want to say once more that we cannot continue with this kind of injustice to our working population.

Take the tribal areas. Earlier, tribals were owning all forests. Today they are nowhere, they do not have a right over the forest produce; they do not have a right over their lands; their lands have been taken away by outsiders. So many projects are coming up there and these tribals have been driven away and finally ending up as slave labour to suffer innumerable atrocities on them. That is why I say this 7.5 per cent of our population are being left at the mercy of the most inhuman exploiters where they have to work under atrocious working conditions. One ICS officer liberated so many concubines in one of the districts of Maharashtra. This is a shame on our society, and I want to bring it to the notice of this House.

Our second bigest labour force is engaged in weaving industry. What is happening to our weavers? They do not get yarn. The price of yarn during the last few years has doubled, and after the Budget, the price has still gone up by over 25 per cent. Even then, not even 50 per cent of their requirement of yarn is supplied to them, which means, for half the year they have to starve! Has the Government any answer? Has the Labour Ministry been able to execute any legislation to help these helpless people? Every flood or famine affects these families. Then, regarding child labour when the family members are not able to live within their limited income, their children are also sent to work. There are about 20 million children working in our country. This is not found anywhere else in the world. What are the programmes which you are going to implement? Mr. Sangma was once the Labour Minister. He has seen the horrible conditions under which the children are required to work. The children die due to ill-health. What are we going to do? Then, about the beedi workers, construction workers and others, they don't have any law to protect them. What we have done for the contract labour is just nothing. We are not giving them full salary. We don't want to remunerate them to the full extent. This is happening in public sector undertakings and all the Government—run institutions. Take the example of weavers of Janata sarees. They don't even get the minimum wages. Who is the defaulter? The Government is the defaulter. If the Government itself is the defaulter, who will protect them?

Then, one of the Members expressed his annoyance about strikes. Why do they go on strike? What about lay-offs? Double the number of working days are lost by lay-offs. What is the point in blaming them? The working conditions are very bad. The coal miners do not have dwelling houses. The dock workers do not have dwelling houses and they do not even get good drinking water. They drink the water that comes from the mines. If these are the working conditions, how can the workers do their job? I want to ask the Government as to what has happened to the legislation. The legislation is in a safety locker with double keys. One key is in the hands of big business and the other key is with the multinationals. Only if these two agree to open it, there can be a legislation. This is a predicament in which we have placed ourselves. We cannot pass any labour laws. Just as my friend said, no labour laws for export industries.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please conclude. Your time is already over.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: What is your stand on labour participation in management? What is your stand on democracy for the working people? What is your stand on the secret ballot? If we don't have any secret ballot, I think we can never understand what the working masses of this country want. We cannot have a representative to represent the workers to fight for their rights.

What about the tripartite agreement? I think you have put it in the shelf. What about the labour conference?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Don't be emotional.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: It is not a question of a few. It is a question of about 75 per cent of the population who have been suffering and we are not in a position to do anything for them. The working masses are rising in revolt. We expect this Government to react to this. At least, they should call a labour conference where all the parties can sit together the Government, the management and the workers—and thrash out the fundamental issues to the benefit of the workers. If this is not done, the Government will have to get out.

SHRI PRAGADA KOTAIAH (Andhra Pradesh): Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to speak on the working of the Ministry of Labour. I would like to request the Government to define their policy towards the workers in the unorganised sector.

[Shri Pragada Kotaiah]

Governments are always favouring organised labour because they are capable of organising themselves, shouting slogans and making noise. But it is not possible for the workers in the unorganised sector, in the villages. Therefore, the Government will have to define their policy as to what they are going to do in regard to the innumerable number of workers in the unorganised sector, engaged in cottage and other tiny industries.

Now, the Labour Department is running industrial training institutes all over the country. In the recent past, industrial training institutes have come up in the private sector also. The private sector spends huge amounts on running these institutes. But unfortunately, neither the State Governments nor the Central Government are giving any assistance to these institutes, the trades of which have been affiliated permanently to the National Council for Vocational Training. My suggestion is that you should give them grants.

The Human Resource Development Ministry has introduced vocational education at the plus two stage. They are providing funds for buildings. They are providing funds for purchase of tools and equipment. They are also giving salaries of the staff. But here, I am not able to understand why the Labour Department is not interested in taking up the case of the industrial training institutes in the private sector. What I would like to request is that the private industrial training institues, the trades of which have been permanently affiliated to the National Council for Vocational Training should be treated on par with the Government-run industrial training institutes. The World Bank has come forward to provide funds to expand all trades taught in these institutes. But it is confined to the Government industrial training institutes only. Why should not the same thing be extended to the private industrial training institutes? Give grants for paying the teaching staff. Give grants for the purchase of tools and equipment. You should also sanction stipends and scholarships to the other Backward Classes, i.e., the socially and educationally-backward classes, on par with the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Unfortunately, more drop-outs from these classes of people. Most of the drop-outs come from the Backward Classes because the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are getting stipends, scholarships and other facilities and, therefore, there are no drop-outs from them. The drop-outs are only from the either Backward Classes who are socially and educationally backward. But they are not receiving a single pie either from the State Governments or from the Central Government.

Sir, we cannot pose ourselves as the well-wishers of all these classes of people. I had an hour-long discussion with the Director-General of Employment and Training. He said 'We have no money'. How is it that they do not have any money? When the Human Resource Development Ministry has been finding money to provide for tools and equipment, for buildings and also for salaries, how is it that the Labour Department is not able to find any money to provide that all these things in the case of the industrial training institutes in the private sector?

Then, the Labour Department has been insisting that the instructors should have advance training. There is only one institute in Andhra Pradesh. Even that institute has no facility for providing advance training in respect of all the trades. Therefore, the instructors have to go either to Madras or to Calcutta or to some other place. I would request the Labour Department to set up an additional institute at Guntur or provide all the facilities for advance training for the instructors at the Industrial Training Institute, Hyderabad. So that they may not come to us and say during inspection that your instructor is not having advanced training...

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Sir, I am on a point of order.

We are discussing a very important and serious matter. We are having a discussion on the Labour Ministry and the Labour Minister, that is the Prime Minister, is not there. Even the Labour Minister is not there. The Treasury Benches are almost empty. I would request you to see whether quorum on such an important discussion is there in the House.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Actually even without quorum it is the convention of the House that we run the business. Moreover, one Minister is there.

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI P. A. SANGMA): I am here on behalf of the Prime Minister. He has told me to deal with the issue and I will be answering the debate on behalf of the Prime Minister.

SHRI V. NARAYANASAMY: The Parliamentary Affairs Minister is there.

SHRI SUKOMAL SEN: I am pressing for quorum because it is a very important issue on labour. This is the type of attitude of the Members towards the problem of labour.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): I appreciate your sentiments. Now, please take your seat. Let us proceed.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: I am very glad that Mr. Sangma has come forward to look into the problems of labour because he is familiar with their problems, he was also a Minister of Labour sometime back.

The second point is, when Shri Anjaiah was the Minister of Labour, he got a tripartite committee appointed to look into the conditions of the workers in the powerloom industry and of the handloom weavers. That Committee consisted of the representatives of labour unions and all others are senior administrative officers. They have long back submitted their report. They have suggested creation of a welfare fund not only for the powerloom workers but also for the handloom weavers. They have also suggested that all the powerlooms should be brought under the purview of the labour laws. Now, according to T. T. Krishnamachari most of the powerlooms started by financiers are being treated as domestic powerlooms. All the powerlooms are divided into units of 4 by raising curtains and they are all exempted from the labour laws. The condition of the powerloom workers is more miserable than that of handloom weavers. Therefore, whatever the Committee has recommended, you may kindly implement that. The Minister has gone, I do not know whether the Director General of Labour Welfare, Shri Srivastava, is there or not. But you may kindly take up the report and see what best you can do for powerloom workers and handloom weavers.

Thirdly, I have gone through the industrial policy relating to small and tiny industries very carefully. What is happening in this country? In small-scale sector we are thinking of mechanised industries, but because of mechanisation who is losing employment? I may give two or three instances. In our area more than 50,000 women are producing cotton tape from cotton yarn. Now you have permitted capitalists to instal a loom and produce plastic *nawar*. Though it is not comfortable, it is selling in competition with the cotton tape. Therefore, almost all the 50,000 families engaged in this dignified and honourable occupation are losing employment. Is this the way, is this the Industrial Policy we are having in that while powerlooms are producing plastic *nawar*, it is not able to compensate the unemployment caused to the women? ...(*Time bell rings*)...Just two minutes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): I can't allow you two minutes more. Please conclude.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: I will conclude after two minutes, Sir. So, that is one industry.

[Shri Pragada Kotaiah]

Sir, in the last railway budget presented by Mr. George Fernandes, he said that all the railways would use earthen cups for the supply of coffee and tea. But what are we doing now? We are giving plastic cups for the supply of coffee and tea. So potters have lost employment. We have secured employment only for one capitalist for the supply of plastic cups whereas thousands of potters have lost their employment on account of this. Is this the Industrial Policy we are having? No, we don't want this. If at all we are interested we may hape mechanized industries, but they should not destroy the existing cottage industries. Only when they are capable of providing additional avenues of employment without displacing the people who are already engaged in the cottage industries we are for it. Otherwise we are not far these big industries; we do not want them.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please conclude.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: I am concluding, Sir, Kindly excuse me, Sir. Because these are problems of the rural folk, I am trying to speak about them.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): It is not a question of excusing. Time is not going to excuse us.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Sir, the other thing s Kalamkari. We have revived Kalamkari. Kalamkari cloth is famous all over the world today, but Kalamkari printing is taken over by the mills with chemical printing. I am just referring to the Labour Department—I am just referring to the other Ministry—how we are displacing the people, the skilled artisans who have earned glory and gold for this country. They have earned glory and gold for this country but we are destroying them with our mechanized industry.

Sir, with regard to the technique of tie-and-dye, you must be aware that the tie-and-dye sarees are famous not only in this country but in all other countries. That is also being copied by the mills and the Government is not coming to their rescue.

Therefore, this is not the way. You have to revise, you have to reformulate, your Textile Policy so as to enable all the artisans in the villages to thrive against the mechanized sector. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Prof. Sourendra Bhattacharjee— the time allotted to you is six minutes.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Thank you, Mr. Vice-Chairman. The subject is very vast...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): And the time very less.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: ...but the time is not that vast. Therefore, I am to make do with whatever has been allowed to me.

Sir, the main question regarding the Labour Ministry is, really what is the task assigned to it? Is the Labour Ministry here to defend the interests of the labour or to try to and give a cover to the industrialists for their misdeeds? I am not differentiating between the Centre and the States. As for example, recently I had occasion to go to Uttar Pradesh and visit a few factories. Everywhere the question asked by me was, "Whether you have a Union here?" The reply was, "No, we have no union. There is a union outside." In every factory they were telling me that there was no union and, to my understanding, the Labour Ministry is, in a way, responsible for seeing to it that regular unions function in the industries so that industrial decade of the twentieth century.

That is a very important thing. We had a Parliamentary Committee. I do not name the Committee. There were the Labour Department officials, the State Labour Department officials and the Union Labour Department officials with us. They could not explain how such a situation could continue till the last decade of the twentieth century.

Now the question is whether the Labour Ministry will devote itself to these tasks.

In our country even the trade-union movement is about 66 years old, I think, 71 years old. It was in 1920 when the First All-India Trade-Union Conference met under the presidentship of Lala Lajpat Rai. But in these 71 years, out of which 27 years were under the British rule and the rest under independent India, the organised working class has not been able to come up to exercise the pressure that it should have been able to give to the country's economy and to the country's political life. That should be the main concern.

The other points which have been referred to by various speakers are not unimportant. They are also very important.

The condition in regard to equal pay for equal work is a myth. It is nowhere implemented. Agricultural labourers are recognised as members of trade unions. Who controls their conditions, conditions of service? Who ensures the minimum wages for them? Everything is there on the statute book. But on the question of implementation there is hardly anything.

Workers' participatin and other things may be kept apart. If workers' participation comes, that also will be manipulated as other things are manipulated, as accounts are manipulated as the number of workers is manipulated, as their categorisation is manipulated. So, everything, workers' participation also, will be manipulated. One of the sons of the owner will be a worker, will participate on behalf of the workers, will be made to participate by keeping his name on the rolls, and the industrialist, the owner, will control that industry.

These thing will come up because everything here in our country is based on hoodwinking hypocrisy, on lip-service, while completely the other way round is done. It is not a castigation of any particular Minister, least of all the present Minister. I have nothing against the Minister. That is not the point. I do not mind whether he is a Deputy Minister or the Minister of State or the Cabinet Minister. The question is whether you will try and clear these Augean stables of the age-old backlog and corruption and innumerable other acts of inhumanity over which the Labour Ministry has been presiding with complete equanimity. Let this not continue.

My request to the Labour Minister would be not to try to say that his Ministry is trying to have very ideal labour relations in the country, to improve the conditions of workers and things like that. At least to that extent, let him be honest.

Thank you, Mr. Vice-Chairman.

श्री नरेश पुगलिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, देश के एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के विषय में आज इस सदन में चर्चा हो रही है। श्रम मंत्रालय चाहे देश का रहे या राज्यों का रहे यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है । लेकिन इस मंत्रालय का महत्व केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने किस तरह से नीचे गिराया है, उसका आज के इस डिसकशन के लिए जो समय दिया गया है उससे अन्दाज लग जाएगा । रूलिंग पार्टी के लिए 108 मिनट और उतना ही समय अपोजीशन पार्टीज के लिए है अर्थात् ढाई घंटे में देश के पांच करोड़ युवकों का जो मंत्रालय है, उनकी इम्पलायमेंट से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन पर हम चर्चा कर लेंगे । ढाई घंटे में ढाई लाख से लेकर तीन लाख तक स्माल स्केल, मीडियम स्केल और मेजर इंडस्ट्रीज जो सिक है उनके विषय में चर्चा कर लेंगे, हमारे यहां जो खेत मजदूर हैं, दूसरे कारखानों में या अन्य जगहों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे । केन्द्र सरकार इन सब को कितने ढंग से ले रही है, इसका अन्दाज हम लगा सकते हैं । चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रहे, हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट का इसी प्रकार से मजाक उड़ाया है जिसका नतीजा यह निकला कि आज इम्पलायमेंट एक्सचेंजेज में तीन करोड़ हमारे एजुकेटेड अनइम्पलायड के नाम रजिस्टर्ड हैं और ढाई लाख से तीन लाख सिक इंडस्ट्रीज सारे देश में मौजूद हैं । मैं बधाई देना चाहूंगा, केन्द्र सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं, राज्य सरकारों को मैं बधाई देना

[श्री नरेश पुगलिया]

चाहता हूं । केन्द्र और राज्य सरकारों में इस विभाग में काम करने वाले सेक्रटरीज और अन्य अधिकारियों को कि वे कितनी दिलचस्पी से और कितने महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं जिनका नतीजा यह निकला कि पिछले कुछ सालों में यहां पर तीन लाख इंडस्ट्रीज बीमार हुई हैं और तीन करोड़ नव-युवक नौकरी के लिए भटक रहे हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देना चाहूंगा । मैं महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले से आता हूं । वहां एल एंड टी की एक सीमेंट फैक्टरी है । इस एल एंड टी फैक्टरी में ट्रेनी इंजीनियर की जगह निकली । कुल स्थान 24 थे लेकिन उसके लिए 40 हजार एप्लीकेशंस सारे देश से प्राप्त हुईं । हमें गर्व से कहना पड़ता है कि 40 हजार नौकरियों के लिए जो आवेदन आए उन में से हमारे देश की 10 हजार युवा महिलाओं की एप्लीकेशंस थीं । हमारे देश ने शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की की है लेकिन आज उन शिक्षित हाथों को काम देने में हमारा श्रम मंत्रालय और हमारी राज्य सरकारें असमर्थ हैं । यह बेकार हाथ आज कश्मीर, असम और पंजाब में बन्दूक और बम उठा रहे हैं । नक्सलवादियों से घिरा हुआ महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के कुछ एरिया हैं । उस तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं । यह सब इसी का नतीजा है क्योंकि देश में बेकारी बढ़ती जा रही है । मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से विनति करूंगा कि इस प्रकार का मजाक आप इस मंत्रालय से न करें । लेबर मंत्रालय को इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिये । हम उम्मीद करते हैं कि यह सरकार इसको जरूर सीरियसली सोचेगी । मैं कहना चाहूंगा कि श्रम शक्ति आज जो हमारे देश में है इस शक्ति पर धन शक्ति ने काबू पा लिया है । मैं भी कामगार क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता हूं । हम देखते हैं कि बड़ी इंडस्ट्रीज में लिमिटेड कम्पनीज में अगर मजदूर अपनी मांग को ले कर कोई आन्दोलन करता है, कांस्टीटयूशन के मुताबिक मिला हुआ जो अधिकार है उसका उपयोग करता है, अगर वह लेबर कोर्ट का सहारा लेता है, इंडस्ट्रीयल कोर्ट का सहारा लेता है, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का भी सहारा लेता है लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है । ठीक है, जो गवर्नमेंट का सेक्टर है, गवर्नमेंट के इन्डटीट्यूशन हैं, वहां के कामगारों को न्याय मिल जाए लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को धन शक्ति के कारण न आपकी लेबर मिनिस्ट्री से न्याय मिलता है और न लेबर कोर्ट से, न इंडस्ट्रियल कोर्ट से न्याय मिलता है । एक तो लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल कोर्ट का काम आप इंडीपेंडेंट कर । अगर उसका काम इंडीपेंडेंट नहीं कर सकते हैं तो उसको आप बर्खास्त कर दें । आज की जो हमारी न्यायपालिका है उसको आपको लेबर का भी काम सौंपने की अपनी व्यवस्था करनी चाहिये । लाखों केसेज लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल कोर्ट में हैं । लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल कोर्ट राज्य सरकार के अन्तर्गत आते हैं और वहां सब पोलिटिकल डिसिजन होते हैं । एपांइटमेंट से लेकर ट्रांसफर तक और किसको कितना महत्व दिया जाए, किस धन्ना सेठ की वह फैक्ट्री है, बिड़ला की है, टाटा की है, किसकी है उनकी किस ढंग से मदद की जाये, इसकी पूरी साजिश राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के माध्यम से होती है । हमारे अधिकारी बेचारे असमर्थ हैं । उनको मंत्रियों के इशारे पर नाजायज तरीके से मदद करनी पड़ती है । मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मानिक इस्टेट नाम की चन्द्रपुर में एक बड़ी इंडस्ट्री बिड़ला ग्रुप की है, तीन साल पहले वहां उन्होंने सीमेंट वेज बोर्ड के लिये आंदोलन किया था । लेकिन क्या हुआ । बंदूक के बल पर उस आंदोलन को खत्म कर दिया गया । आज भी चार सौ फेमिलीज भूखी मर रही हैं । इंडस्ट्रियल कोर्ट में ढाई साल से मसला पड़ा हुआ है । ढाई साल में पचासों बार उनकी तारीखें हुई लेकिन उनको न्याय नहीं मिल सका । इस प्रकार

से अगर इस देश के मजदूर को कोर्ट के माध्यम से या राज्य सरकार और केन्द्र सरकार अथवा श्रम मंत्रालय के माध्यम से मदद नहीं मिली तो वह मजदूर कहां जायेगा ।

हमारे यहां सिंगरैनी कोल फील्ड जो आंध्र प्रदेश में है वहां पर पिछले दिनों बंदूकधारी लोग वहां की यूनियन को कंट्रोल कर रहे हैं । वहां की कोल माइंस में उनके इशारे पर प्रोडक्शन होता है या बन्द होता है । अगर आपने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो सारे देश में जिन मजदूरों का लोकतंत्र पर विश्वास है वह विश्वास उठ जायेगा और शक्तियां उन लोगों के हाथ में चली जायेंगी । मेरी सरकार से विनती है कि मजदूरों को उस रास्ते से बचाने के लिये और उनको टाइम बाउंड समय में न्याय देने के लिये हम क्या कर सकते हैं इसके लिये जिस तरह से आपने औद्योगिक नीति में बदल लाया है, एक क्रांतिकारी बदल लाया है उसी प्रकार से 1986 के जो लेबर लाज हैं उनमें बदल लाना होगा । आपको इसके लिये सभी यूनियन्स की सभी पार्टियों की मीटिंग बुलानी चाहिये । एक या दो बार इस प्रकार की मीटिंगें हो चुकी हैं लेकिन आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर लाज को चेंज करने के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी है । मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि इस पर उचित ध्यान दें ।

इसी प्रकार से बर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट है । 10 साल से हम चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस की सरकार, विरोधियों की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, हर एक ने कहा कि बर्कर्स का पार्टीसिपेशन जरूरी है । लेकिन हर सरकार ने उस मसले को आज तक पेंडिंग रखा है । जब तक मजदूरों की भागीदारी कारखानों में नहीं होगी, कारखानों का उत्पादन नहीं बढ़ेगा . . . (समय की घंटी) बस दो तीन मिनट । इसी प्रकार से इसमें आपने बदल नहीं लाया तो आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा । इसलिये मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस सेशन में या अगले सेशन में बर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट का बिल आप लाने जा रहे हैं या नहीं इसके बारे में कुछ जानकारी दें ।

इसी प्रकार से जो हमारे असंगठित मजदूर हैं, खासकर खेती के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं उनके विषय में भी आपको उचित निर्णय लेने होंगे और जो सिक यूनिट्स हैं ढाई लाख से तीन लाख उसमें मजदूर अगर कोआपरेटिव बनाकर चलाना चाहें तो उस प्रकार की सुविधा देने का भी केन्द्र सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिये । एक्सपेरीमेंट के तौर पर आपने एक इंडस्ट्री में चालू किया है लेकिन जहां ढाई से तीन लाख इंडस्ट्रीज बन्द हैं वहां पर एक इंडस्ट्री में आप क्या एक्सपेरीमेंट करते हैं, उसको आप आगे बढ़ाइये ।

इसी प्रकार से बचावत कमीशन के माध्यम से देश के पत्रकार भाइयों को जो सुविधा दी गयी थी उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है । दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों में कुछ प्रभाव हुआ है लेकिन नीचे के स्तर पर नहीं हुआ है । तो उसको जल्द से जल्द लागू किया जाये ।

इसी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से जो भी मजदूर अपने न्याय के लिये अगर ए०एल०सी० , डी०एल०सी० या कमिश्नर के आफिस में जाता है तो यह कहकर उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग कर दी जाती है कि आप किसी यूनियन के माध्यम से आयें । तो मेरी आपसे विनती रहेगी कि आप इस पर जल्द से जल्द निर्णय ल । अगर व्यक्तिगत रूप से कोई जाता है तो उसको जाने का अधिकार है । चन्द्रपुर का खासकर मैं बताना चाहता हूं कि ए०एल०सी० इस प्रकार के जो भी केसज आते हैं उनक पेंडिंग कर देता है या उनको रिजेक्ट कर देता है ।

[श्री नरेश पुगलिया]

इसी प्रकार से जो हमारा महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट का जबलपुर में है, उस एरिया के लिये, उसकी एक ब्रांच नागपुर में भी लगायी जाये और लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि हमारे जो बीड़ी कामगार हैं देश में उनके प्राविडेंट फंड का सौ करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है। सुप्रीम कोर्ट में कई साल लड़ने के बाद उनके फेवर में निर्णय हो चुका है लेकिन सेंटर की लेबर मिनिस्ट्री ने आज तक उस पर, उद्योगपतियों के दबाव के कारण कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्राविडेंट फंड की जो राशि बीड़ी कामगारों की है, यह राशि उनके हाथ में इन इंडस्ट्रियलिस्टस से आप कब तक दिलायेंगे ? और उसी प्रकार से सभी पार्टीज को यूनियंस की मीटिंग बुलाकर जल्द से जल्द लेबर लाज में परिवर्तन लाने की यह सरकार कोशिश करेगी।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): You shall have to complete within five minutes. (*Interruption*). No, previously it was decided to sit beyond 6 MP also.

श्री आनंद प्रकाश गौतम (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे पूर्ववक्ता जो भी हमारे माननीय सदस्य बोले, उन तमाम सदस्यों ने श्रमेव जयते का बड़ा विश्लेषण किया। श्रम की महत्त पर विशेष ध्यान दिया गया।

हमारे देश में जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से यदि देखा जाय, तो आर्थिक विकास में श्रम का हर पहलू पर एक विशेष महत्व है। लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था श्रम के प्रति है, श्रम के प्रति जो उदासीन संस्कृति है, वह हमारे देश के लिये एक घातक चीज है।

हर आदमी श्रम के प्रति इतनी ऊंची भावना मन में रखता है, लेकिन श्रम से कतराने को जो प्रवृत्ति आज लोगों में बनती जा रही हैं, वह हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या और देश की उत्पादकता को चोट सी है। आज श्रम करने वाला आदमी सम्मान नहीं पाता। उसे असम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लोग मशीनीकरण की तरफ बहुत तेजी से भाग रहे हैं। घर में झाड़ू लगाने के लिये भी मशीन का अविष्कार हो गया है। अब झाड़ू लगाने वाले की भी जरूरत नहीं है और उसको नीची निगाह से देखा जाता था।

तो यह जो व्यवस्था है, इसको भी बदलने के लिये सरकार को कोई कदम उठाना चाहिये ताकि हम लोगों के मन में श्रम का महत्व पैदा हो। आज जो श्रम मंत्रालय के कार्यक्रम पर विचार हमारे सदन में हो रहा है, विशेष रूप से हम देखते हैं कि जो मजदूरों की समस्यायें हैं, उनके बारे में श्रम मंत्रालय ध्यान रखता है।

देश में दो तरह के मजदूर हैं। एक तो संगठित मजदूर हैं, जो बड़े बड़े उद्योगों में, छोटे-छोटे उद्योगों में, कारखानों में, फैक्टरियों में काम करते हैं और एक ऐसे असंगठित मजदूर हैं, जिनकी काफी बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी तादाद है हमारे देश में, जो गांव में काम करते हैं, खेती में काम करते हैं, मकान बनाने का काम करते हैं।

उनका कोई संगठन नहीं है। उनकी भी अपनी बहुत बड़ी समस्यायें हैं, जिनके बारे में इस मंत्रालय को विचार करना होगा।

जहां तक संगठित मजदूरों का सवाल है, उनकी समस्याओं का सवाल है, बहुत से सदस्यों ने उनके बारे में विचार किया, काफी स्तर पर उनके लिये कानून भी बने हुये हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुछ दिनों से कुछ बड़े उद्योग-पतियों की साजिश चल रही है कि सरकारी कारखानों को, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को घाटा दिखा कर, उसे निजीकरण के लिये कुछ लोगों में बेचने

की प्रवृत्ति बढ़ चली है कि साहब जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, उसमें घाटा हो रहा है।

पिछली सरकार ने, वी०पी० सिंह के प्रतिनिधित्व काल में जो सरकार थी (**समय की घंटी**) उन्होंने यह कहा था और कानून बना कर श्रमिकों की भागेदारी सुनिश्चित कर रही थी मैनेजमेंट में, लेकिन वह समय चला गया। आज की यह जो सरकार है, इससे मैं चाहूंगा कि क्या श्रमिकों को भागेदारी प्रबंध में सुनिश्चित करने के लिये, माननीय मंत्री जी, वह कानून जो पिछली सरकार ला रही थी, वह आप लाने जा रहे हैं या नहीं ? एक तो यह कहना है कि जो निजीकरण की बात सार्वजनिक उद्योगों को देने के लिये है, उसको कानून बना कर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिये कि सार्वजनिक क्षेत्रों को निजीकरण के लिये कोई बेच नहीं पाये, ऐसा कानून आपको बनाना होगा।

माननीय, एक बात हमारे पूर्व-वक्ता, माननीय सदस्यों ने कही... यूनियन के माध्यम से भी उनकी समस्यायें
6-00 P.M. प्रबंधकों के द्वारा या मंत्रालय के द्वारा सुनी जाती हैं। एक बड़ी कठिन समस्या है जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। मान्यवर, दो मिनट और चाहता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Your time is already over.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : मैंने कभी नहीं मांगा, दो मिनट चाहता हूं। वह यह है कि यूनियन जो हैं, देखा गया है कि यूनियन, जो अनसूचित जाति और जन जाति की समस्या है मजदूरों में भी उनके हितों के विरुद्ध मैनेजमेंट से यूनियंज समझौता कर लेती है। इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि जहां यूनियंज हैं सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में भी उसमें आप

अनुसूचित जाति और जन जाति की यूनियंज को भी मान्यता देने की कृपा करें, अन्यथा उनके हितों के विरुद्ध यूनियन और मैनेजमेंट, दोनों मिल करके, समझौता करके काम चलाते हैं और उनके हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं जो असंगठित मजदूर हैं उनके बारे में एक निवेदन यह देना चाहता हूं, यह कृषि मजदूर हैं, उसमें से बंधुआ मजदूरों को पुनःस्थापित करने के लिये और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने का सरकार ने दावा तो बहुत किया है, यह जो बेगार प्रथा है इसको भी समाप्त करने का दावा हम लोग करते हैं, लेकिन यदि देखा जाय तो गांवों में भी आज यह परिस्थिति किसी न किसी रूप में विद्यमान है। चूंकि यह संगठित मजदूर नहीं हैं, आज आये दिन हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति, जन जाति और महिलाओं पर अत्याचार जो ढाये जाते हैं, प्रकाश में आते हैं, सदन में चर्चायें भी होती हैं, उनके पीछे भी कहीं न कहीं इस बात की जड़ है कि चाहे वह फोर्स लेबर के अगेंस्ट उन पर अत्याचार किये जाते हों, चाहे वह बंधुआ मजदूर नहीं रह सकते इसके खिलाफ वह उठ रहे हैं, इसलिये उन पर अत्याचार किये जाते हैं। तो माननीय मंत्री जी बैठे हुये हैं, मैं इनसे कहूंगा कि सरकार के माध्यम से कोई ऐसा कानून बनायें इस प्रकार से ताकि गांवों के मजदूरों को भी कुछ संगठित करने की जिम्मेदारी शासन अपने ऊपर ले, क्योंकि उनमें कोई यूनियन नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (डा० नगेन सैकिया) : ठीक है, ठीक है।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम: मान्यवर, समय चूंकि समाप्त हो चुका है, मैं आपके आदेश का पालन करते हुये और अपनी बात को समाप्त करते हुये मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो सामाजिक अत्याचार होते हैं इनको समाप्त करने के लिये, असंगठित मजदूरों को इकट्ठा करने के लिये, सरकार कोई न कोई अपनी तरफ से व्यवस्था अवश्य करे। धन्यवाद।

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman Sir, the question that is being debated is in regard to the labour force of our country. So far as labour force is concerned, there are a number of laws such as the Payment of Wages Act, the Industrial Disputes Act, the Fatal Accidents Act, the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act which are in force. So, far as the Payment of Wages Act is concerned, the wages are speedily to be paid to the worker on an application made, but a right of appear in certain circumstances is allowed in the High Court which, I submit, should be abolished. Secondly, under the Industrial Disputes Act the term "workman" has been defined, but certain categories of workers such as teachers are not included in that term. Therefore, I would submit that the Labour Ministry may consider bringing in an appropriate amendment so as to include such categories of workers also within the term "workman". Moreover, for the purpose of determining whether or not any person is a worker within the meaning of the Industrial Disputes Act, a certain limit of income per month is laid down in the Act. That limit is too low in the present circumstances. It deserves to be revised. And so far as the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act is concerned, this Act is honoured more in breach that in observance. It is a laudable piece of legislation but it, is not being enforced in actual practice. I would request the hon. Minister to direct all the persons who are responsible to implement the Act, the Labour Department and the officers, to see to it that this breach is not committed any more.

Now comes the question of that labour which is on the agricultural sector and which has engaged the attention of most of the speakers. Most of our labour is engaged in agriculture and the agricultural labourers are generally landless tillers. Their remedy will not come from the Government by legislation in the way in which it can be done with regard to the urban labourers or factory labourers or office labourers. I think, we need to change our land laws and as an example we may follow what we did in Jammu & Kashmir in 1947. We laid down that one who does not till the land shall not be its owner. At that time the Constitution was not in force. Therefore, the land was taken away and given to the tillers of the land without compensation. But today the Constitution will intervene and payment will have to be made, compensation within the meaning of the Constitution will have to be paid. All the land laws that have been made so far, whatever these may be, have been frustrated by the lobby of the land lords. Therefore, I would request that those laws should be implemented and more revolutionary land laws should be brought into force so that the labourers on the land will become the owners thereof. I do not say that the landlords should not have any land. But so much of land as is optimum for the purpose of cultivation should be left with the landlords' families taking into consideration the strength of their family.

Now, there are the rickshaw drivers such as the automobile rickshaw drivers and manual rickshaw drivers. You can better their lot. There may be about two crores of people. Their lot can be bettered if you can give them ownership of there rickshaws. The way to do that is that you may issue bonds in favour of the owners of those rickshaws who hire them to those persons who actually work on the rickshaws—whether they are automobile rickshaws or whether they are manually driven rickshaws. There should be a certain limit, for instance, five automobile rickshaws. Nobody should be allowed to own more. The remaining should be given to those who are running them and bonds should be executed in favour of the owners. Whatever they pay, to the present owners should be paid through a fund created by the State Labour Department. Ultmately, the amount paid off will not be hire charges but the price of that and they will become owners thereof. Thus, two crores of people will be rehabilitated.

My next submission is with regard to the amount of compensation paid to a man losing any part of his body or losing his life during his work as labourer. The

Schedule to the Industrial Disputes Act provides a very small amount as compensation. What I submit is that in the present circumstances that schedule deserves to be revised and the compensation deserves to be increased. Moreover, it may be made obligatory that so far as the dependents of a labourer suffering such an injury which incapacitates him are concerned, they shall be the responsibility of the State wherever the State is the employer or of the owner where there is a corporation. Now, there is also one way out which has engaged the attention of the hon. Members of the House, that is participation of the labour in management and ownership of various enterprises. I submit efforts should be made in that direction. If labourers become the owners or co-sharers in a particular enterprise their lot will be bettered and they can look after their interest and their economic condition may improve. These are my submissions.

SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY (Orissa): Mr. Vice-Chairman, I am thankful to you for calling me. I had actually lost the hope of speaking on this subject just as the labourers have lost all their hopes with the Department of Labour. You can well judge from the presentation of the Budget and the seriousness of the Government that this department looks as a bonded department of the Government of India. Even those who become the Labour Ministers come to think that they have fallen from the grace of their High Command and hence they are being given the Labour Ministry. Even the bureaucrats who are heading the Labour Department think that they are not well up with their seniors and that is why they have been assigned to this department. That is how the Labour Ministry is functioning for the last fortyfour years in this country and it has resulted in our discussion here about the functioning of the Ministry.

The impression one gets is that a very vital force of this country, viz. the labour, has not been adjudged as a capital investment. We want to replace our vast manpower with mechanisation without realising the danger that mechanisation brings in its wake, the danger that it spells for the labour force. We are talking about modernisation and mechanisation. We don't say that modernisation and mechanisation is not necessary for this country. But we cannot dispence with the vast labour force in this country. For your information, we have only 3.25 per cent of the labour force in the organised sector, in the private sector and the public sector. Although labour laws have been enacted by Parliament for the protection and welfare of the workers, the greatest offender of the labour laws is the Government of India itself. I only quote what the Supreme Court of India said. The Supreme Court of India held: "When State is expected to be an ideal employer, it has become the greatest offender of labour laws." What to speak of private managements? When they cannot defend themselves, they come for settlement with the different organisations or unions. But most of the settlements are not implemented. The Government is not able to enforce them. If it would have been Commerce Ministry, it can go to the extent of cancelling the licence. But here they will be presuaded only to accept the position of the employers. In the last three years the statistics show that we have lost 14 million mandays on account of workers' strikes while we have lost 22 million mandays on account of lockouts. You have framed laws against illegal strikes like ESMA, MISA, etc. to prevent workers from going on strike. I would like to ask the honourable Minister: What laws are there against illegal lockouts either by Government undertakings or by private undertakings? None. (*Time bell rings*) Sir, since you have allotted a very limited time to me, I will be very brief.

There is a welfare scheme known as Provident Fund. Nobody knows perhaps how many crores of rupees have been

[Shri Pravat Kumar Samantaray]

swindled away under the cover of provident fund. The contractors, the administrators, the establishments, the managements, those who have collected providend fund contributions from their workers, from their employees, have neither deposited their share of the contribution nor have they deposited the contributions collected from the workers. What do they do? Since the law prescribes a very simple punishment for this offence, which is a maximum fine of Rs. 2,000, they prefer to pay the fine and swindle crores of rupees. For example, the industrial establishments collect about rupees five lakhs as Provident Fund from the workers. This money is not deposited with the Provident Fund Commissioner. After a year or so, when a worker makes a complaint, the amount due to him is settled. These establishments actually invest this money in Fixed Deposits and earn a lot of interest. While the establishment earns interest by investing Rs. 10 lakhs—Rs. 5 lakhs from the workers contribution and the other Rs. 5 lakhs from the employers' contribution the poor worker has to suffer. In addition to this, he has to pay towards the lawyers expenses. The establishments also Income-tax by showing that they have deposited the money with the Provident Fund Commissioner. Sir, in this country, till date, we do not have a national wage policy. We have different structures of pay for the workers and the clerks of different establishments. These structures differ from State to State as well as from the Centre... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NAGEN SAIKIA): Please conclude.

SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY: Sir, I have a few more points. But I will just touch upon Adjudication. When a worker does not get justice, he approaches the Labour Tribunal or the Labour Court and all of us know very well as to how long these Tribunals and Courts take to decide a case. There are cases where the courts have taken more than 10 years to settle a case. I would like to bring to the notice of the House that a dismissed worker finds it very difficult to sustain himself and his family without any income for such a long period. On the other hand, even if the judgement is passed against the management, the management is never punished. We are merely sheltering the interests of the management. It is the worker who suffers. Sir, there are a lot of foreign agencies like CARE in this country. These agencies employ Indians under them. When a worker is dismissed from these agencies there is no Indian law which gives them any protection. In most cases the, Industrial Disputes Act is not applicable to these agencies. They are totally left helpless. We do not have a separate department or ministry that can look into these issues. I would request the Prime Minister to look into this and give it priority if he is seriously thinking of development. We cannot think of development in this country minus the labour force. The Government will be committing a grave mistake if it does not take the labour force into confidence. We should see that the labour laws are properly enforced and the labour enforcing machinery is empowered to call upon the defaulting employers and ask them to explain and make it mandatory for them to attend the conciliation proceedings wherever and whenever they are held by the Conciliation Officer.